

शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर

Govt. Holkar Science College, Indore

(An Autonomous Institution and Centre for Excellence)

NAAC Accredited



स्थापना वर्ष - 1891



विवरणिका, सिटीजन चार्टर एवं आवेदन पत्र

Prospectus, Citizen Charter & Application Form

सत्र / Session 2011-12

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर से सम्बद्ध

Affiliated to Devi Ahilya University, Indore

Website : www.collegeholkar.org

Govt. Holkar (Autonomous) Science College, Indore (M.P.)

Proposed Academic Calender

Admission Process for B.Sc.I Semester 2011

Submission of application form : 08 June 2011 to 20 June 2011

Declaration of Admission List - 25 June 2011

Document Verification and other admission formalities - 26 June 2011 to 30 June 2011

Commencement of Academic Session - 01 July 2011

Activities	I/III/V Semester 2011	II/IV/VI Semester 2012
Teaching	1 July 2011 to 31 Oct. 2011	2 Jan. 2012 to 30 April 2012
Project / Internship allotment	July 2011	January - 2012
A.T.K.T.	August 2011	February - 2012
C.C.E.- I	August 2011	February - 2012
C.C.E.-II	October 2011	April - 2012
Practical Exams	1 Nov. 2011 to 19 Nov. 2011	1 May 2012 to 19 May 2012
Preparation Leave	20 Nov. 2011 to 25 Nov. 2011	20 May 2012 to 25 May 2012
Semester Exams	26 Nov. 2011 to 24 Dec. 2011	26 May 2012 to 25 June 2012
Probable Date of the declaration of result & Semester Break	25 Dec. 2011 to 31 Dec. 2011	26 June 2012 to 30 June 2012

1. Calender for Cultural Activities will be available on the Website of Department of Higher Education, Govt. of Madhya Pradesh, Bhopal ([www.mp.gov.in / highereducation](http://www.mp.gov.in/highereducation))
2. The details of Admission for M.Sc. and M.Phil. Courses will be made available later.
3. The above calendars is subject to change in accordance with the instructions issued by the Department of Higher Education from time to time.



ध्येय

युवा पीढ़ी में आत्म विश्वासा का संचार, व्यक्तित्व विकास, क्षीय एवं अनुसंधानात्मक प्रवृत्तियों का विकास, समानता एवं राष्ट्रप्रेम की भावना प्रकुटित करके हेतु उचित वातावरण प्रदान करना ।

सत्र 2011-12

प्रवेश हेतु आवश्यक निर्देश

महाविद्यालयीन वेबसाईट www.collegeholkar.org पर उपलब्ध है ।

नागरिक अधिकार – पत्र

(1) संस्था परिचय

इस महाविद्यालय की स्थापना 10 जून 1891 को इन्दौर रियासत के तत्कालीन महाराजा श्रीमंत शिवाजीराव होलकर द्वारा अपने स्वर्गीय पिता महाराजा तुकोजीराव होलकर की स्मृति में की गयी थी। प्रारंभ में महाविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत, फार्सी, तर्कशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, गणित और विज्ञान विषय पढ़ाए जाते थे। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के स्नातक और बार-एट-लॉ श्री ई.सी. चमले इस महाविद्यालय के पहले नियमित प्राचार्य 1891 से 1910 तक बने। उन्हीं के समय में यहाँ बी.एस-सी. की कक्षा प्रारंभ हुई। अपने प्रारंभिक वर्षों में यह महाविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय से सम्बद्ध था। सन् 1904 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किया गया। इसके बाद आगरा तथा विक्रम वि.वि. से सम्बद्धता के बाद 1964 से यह महाविद्यालय देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर से सम्बद्ध है।

महाविद्यालय के सभी शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कार्यक्रमों की दिशा, विद्यार्थियों को समाज के नव-निर्माण, समानता के अधिकार एवं गरिमायुक्त व्यक्तित्व की सीख देने की ओर केन्द्रित होगी ताकि समुचित शिक्षा के आलोक में विद्यार्थी एक सुसंस्कृत, उत्तरदायी, संवेदनशील व्यक्ति तथा देश के श्रेष्ठ नागरिक बन सकें।

1926 से 1940 तक का समय महाविद्यालय के विकास का श्रेष्ठ समय था। इस अवधि में डॉ. प्रफुल्लचन्द्र वसु महाविद्यालय के प्राचार्य थे। इन वर्षों में अनेक विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाएँ तथा स्नातक स्तर पर कई नये विषय प्रारंभ किये गये। शैक्षणिक, उपलब्धियों के साथ-साथ खेलकूद व सांस्कृतिक गतिविधियों में अपने गौरवपूर्ण कीर्तिमानों के साथ इस महाविद्यालय ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक विशेष पहचान बनाई। 1960 तक इस महाविद्यालय में कला, वाणिज्य, विज्ञान और विधि संकायों में

अध्यापन होता था। 1961 में इसे दो स्वतंत्र इकाइयों में विभाजित किया गया। पुराने ही परिसर में कार्यरत, अपनी शैक्षणिक गुणवत्ता को विरासत में लिये, विज्ञान विषयों के अध्यापन और शोध को समर्पित यह संस्था शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय के रूप में विज्ञान-शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार की दिशा में अनवरत प्रयत्नशील है।

मध्यप्रदेश शासन ने इसे वर्ष 1985-86 में आदर्श महाविद्यालय का दर्जा दिया। सन 1989 से यह स्वशासी महाविद्यालय के रूप में कार्यरत है। अगस्त 2001 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यानन परिषद (NAAC) ने इस महाविद्यालय को तीन सितारा दर्जा दिया था। यह गौरव प्राप्त करने वाला प्रदेश का यह पहला महाविद्यालय रहा। वर्ष 2009 में NAAC ने इस महाविद्यालय का पुनर्मूल्यांकन कर आगामी पाँच वर्षों के लिए इसे 'बी' ग्रेड प्रदान किया है। इसी प्रकार यूजीसी टीम ने 2009 में इस महाविद्यालय को आगामी पांच वर्षों के लिए स्वशासी महाविद्यालय का दर्जा पुनः प्रदान किया है। शिक्षा-सत्र 2001-2002 से राज्य शासन ने इस महाविद्यालय को उत्कृष्टता के केन्द्र के रूप में चिन्हित किया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना के अंतर्गत स्नातक स्तर पर रोजगारीन्मुखी पाठ्यक्रम 'औद्योगिक मूल्य एवं मात्स्यिकी' तथा 'बीज तकनीकी' विषय 1994 से प्रारंभ किये गये हैं।

स्वशासी योजना के अन्तर्गत उच्च तकनीकी तथा स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों के रूप में कम्प्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूक्ष्म जैविकी, औषध रसायन और बायोटेक्नोलॉजी विषय पढ़ाए जा रहे हैं। शिक्षा सत्र 2003-04 से स्नातक कक्षाओं में जीव रसायन, बायोइंफार्मेटिक्स पाठ्यक्रम आरंभ किये गये हैं। इसी योजना के अंतर्गत सत्र 2007-08 में कम्प्यूटर विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी तथा सूक्ष्म जैविकी (Micro Biology) में

स्नातकोत्तर (M.Sc.) कक्षाएँ प्रारम्भ की गई। शिक्षा सत्र 2003-04 से प्राणीशास्त्र विषय में M.Phil पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है।

महाविद्यालय को विरासत में एक लम्बी एवं समृद्ध शोध परम्परा मिली है। प्रारम्भिक वर्षों में प्रो. आठवले, प्रो. शंकर गोखले, प्रो. शैलेन्द्रनाथ धर आदि ने अपने मौलिक एवं गवेषणात्मक कार्यों से इस महाविद्यालय के लिये गौरव अर्जित किया। रसायनशास्त्र में डॉ. एस.एस. देशपांडे और उनके सुयोग्य शिष्य डॉ. विश्वल भागवत, प्राणिशास्त्र में डॉ. रवि प्रकाश, डॉ. के.एस. कुलश्रेष्ठ, डॉ. के. एस. राव, डॉ. एस.एस. श्रीवास्तव के शोध कार्यों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया। भौतिकी, रसायन, गणित, वानस्पतिकी, प्राणिकी, भौमिकी, जीवरसायन एवं बायोटेक्नोलॉजी विषयों में भी महत्वपूर्ण शोध कार्य किये जा रहे हैं। वर्तमान में यह महाविद्यालय एक प्रमुख शोध केन्द्र के रूप में जाना जाता है। अनेक दुर्लभ ग्रन्थों एवं शोध पत्रिकाओं से समृद्ध पुस्तकालय तथा अपने विषय को समर्पित विद्वान एवं निष्णात प्राध्यापकों के कारण इस महाविद्यालय की गणना देश के प्रमुख शिक्षा केन्द्रों में होती है।

महाविद्यालय का पुस्तकालय प्रदेश के महाविद्यालयीन पुस्तकालयों में सर्वश्रेष्ठ है। वर्ष 2007 से महाविद्यालय की स्वतंत्र संस्थान Research Promoting and Communication Society द्वारा शोध पत्रिका Indian Research Communication (I.S.S.N. 0973-9661) का प्रकाशन किया जा रहा है जिसके सम्पादकीय परामर्श मण्डल में अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान सम्मिलित हैं।

महाविद्यालय द्वारा विभिन्न विषयों में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किये जाते रहे हैं।

महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं एवं शैक्षणिक गुणवत्ता का आकलन मात्र इस तथ्य से किया जा सकता है कि देश को प्रख्यात शिक्षण संस्थान Symbiosis द्वारा अपने विद्यार्थियों के Project कार्य हेतु इस महाविद्यालय को चिन्हित किया गया है।

(2) उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाएँ

1. बी.एस-सी. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम -

(अ) उच्च तकनीकी तथा स्वविषयीय पाठ्यक्रम - कम्प्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सांख्यिकी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोईफार्मेटिक्स तथा बायोकेमिस्ट्री।

(ब) परंपरागत पाठ्यक्रम- गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणिकी, वानस्पतिकी तथा भौमिकी।

(स) रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम- औद्योगिक मत्स्य एवं मात्स्यिकी तथा बीज तकनीकी।

2. एम.एस-सी. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम (चार सेमेस्टर में पूर्ण) -

जीव रसायन, वानस्पतिकी, रसायन शास्त्र, भौमिकी, गणित, सांख्यिकी, भौतिकी, प्राणिकी, बायोटेक्नोलॉजी, कम्प्यूटर साइन्स एवं माइक्रोबायोलॉजी एवं फार्मा रसायन में उपलब्ध हैं।

3. शोध सुविधा-

यह महाविद्यालय देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर द्वारा विज्ञान संकाय के सभी प्रमुख विषयों में शोध संस्थान के रूप में मान्य है। शोध छात्रों को पात्रता होने पर नियमानुसार प्रवेश दिया जाता है।

4. महाविद्यालय में धर्म एवं विज्ञान विषय में एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ किया गया है।

5. M.Phil. में एक वर्षीय पाठ्यक्रम (दो सेमेस्टर में पूर्ण) - प्राणीशास्त्र, रसायन शास्त्र में उपलब्ध है।

6. नये संभावित विषय (ज्ञान एवं विश्व विद्यालय की ओर से स्वीकृति हेतु भेजे गए हैं)।

अ) प्रस्तावित M.Phil. वनस्पति शास्त्र, कम्प्यूटर, जैविक रसायन, बायो टेक्नोलॉजी, गणित। जिसमें प्रवेश परीक्षा के उपरान्त दिये जाएँगे।

ब) P.G. डिप्लोमा जीओ एंफरमेटिक्स में प्रस्तावित है।

स) खेल विभाग द्वारा योग का प्रमाण पत्र कोर्स खोला जाना प्रस्तावित है।

द) M.Sc. फॉरेन्सिक साइन्स में एवं M.F.Sc. फिशरीज में प्रस्तावित है।

(3) प्रवेश हेतु पात्रता

विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु पात्रता एवं सुविधाएँ निम्नानुसार हैं-

बी.एस-सी. (प्रथम सेमेस्टर)- माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश अथवा केन्द्रीय विद्यालय की बारहवीं अथवा उसके समकक्ष

अन्य परीक्षाएँ उत्तीर्ण छात्र/छात्राएँ प्रवेश के पात्र होंगे। न्यूनतम 55 % अंक अनिवार्य (महाविद्यालय उत्कृष्टता का केन्द्र) है।

बी.एस.-सी. (तृतीय तथा पंचम सेमेस्टर)- इस महाविद्यालय की बी.एस.-सी. द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण छात्र/छात्राएँ तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर में प्रवेश के पात्र होंगे।

एम.एस.-सी. (प्रथम सेमेस्टर)- मध्यप्रदेश के मान्य विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण सम्बन्धित विषय के स्नातक को गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। स्थान रिक्त होने पर प्रदेश के बाहर के विश्वविद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

एम.एस.-सी. तृतीय सेमेस्टर - इस महाविद्यालय के द्वितीय सेमेस्टर उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश के लिये पात्र होंगे।

(4) उपलब्ध स्थान

स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में उपलब्ध स्थान निम्नानुसार है-

भौतिकी	= 20	रसायन शास्त्र	30 + 10 = 40
वनस्पतिकी	= 20	प्राणिकी	15 + 5 = 20
गणित	40 + 10 = 50	भौतिकी	15 + 5 = 20
जीव रसायन	15 + 10 = 25	सांख्यिकी	15 + 10 = 25
कम्प्यूटर	= 30	जैव तकनीक	= 15
सूक्ष्म जैविकी	= 20	एम.फिल. - प्राणीशास्त्र	= 10
फार्मा रसायन	= 20	एम.फिल. रसायन शास्त्र	= 15

एम.फिल./पी.जी. डिप्लोमा में (प्रस्तावित पाठ्यक्रम) में उपलब्ध सीटें -

वनस्पति शास्त्र	= 10	कम्प्यूटर	= 30
जैव रसायन	= 12	बायोटेक	= 10
बायोइंफार्मेटिक्स	= 20	गणित	= 10

एम.एस.-सी. में वैशिष्ट्य (Specialization) की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इस हेतु विद्यार्थी सम्बन्धित विभाग से सम्पर्क करें।

बी.एस.-सी. प्रथम सेमेस्टर हेतु गणित एवं जीव विज्ञान समूह में 60 प्रति सेक्शन छात्र संख्या प्रस्तावित है। बी.एस.-सी. 6 सेमेस्टर हेतु आधार पाठ्यक्रम के अतिरिक्त निम्नानुसार विषय समूह उपलब्ध हैं। प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों को इनमें से चुनने का विकल्प होगा।

गणित समूह :

1. कम्प्यूटर, भौतिकी, गणित
2. कम्प्यूटर (स्ववित्त), भौतिकी, गणित
3. इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्प्यूटर, गणित
4. इलेक्ट्रॉनिक्स, भौतिकी, गणित
5. सांख्यिकी, कम्प्यूटर, गणित
6. सांख्यिकी, भौतिकी, गणित
7. भौतिकी, गणित, रसायन शास्त्र
8. भूगर्भ शास्त्र, कम्प्यूटर, गणित

जैविकी समूह :

1. बायोटेक्नालॉजी / कम्प्यूटर/रसायन शास्त्र
2. बायोटेक्नालॉजी / रसायन शास्त्र/प्राणिकी
3. बायोटेक्नालॉजी / रसायन शास्त्र/वनस्पति शास्त्र
4. बायोइंफार्मेटिक्स / कम्प्यूटर/प्राणिकी
5. जीवरसायन / रसायन शास्त्र/प्राणिकी
6. माईक्रोबायोलॉजी / रसायन शास्त्र/प्राणीशास्त्र
7. फार्मा. रसायन / रसायन शास्त्र/वनस्पति शास्त्र
8. फार्मा. रसायन / रसायन शास्त्र/प्राणी शास्त्र
9. रसायन शास्त्र/वनस्पति शास्त्र/प्राणिकी
10. फिशरीज / रसायन शास्त्र/प्राणिकी
11. सीड टेक्नालॉजी / प्राणी शास्त्र/वनस्पति शास्त्र
12. भूगर्भ शास्त्र / रसायन शास्त्र/प्राणिकी

नोट 1 : उच्चशिक्षा विभाग म.प्र. शासन के नियमानुसार बी.एस.सी. प्रथम वर्ष व द्वितीय सेमेस्टर में उद्यमिता विकास, तृतीय व चतुर्थ सेमेस्टर में पर्यावरण अध्ययन तथा पंचम व षष्ठम सेम. में वेसिक कम्प्यूटर एम्फार्मेशन टेक्नालॉजी आधार पाठ्यक्रम के अनिवार्य अंग हैं।

2 : सीड टेक्नालॉजी/हार्डिकलचर/वनस्पति शास्त्र समूह में बी.एस.-सी. प्रथम वर्ष में प्रवेश शासन से अनुमोदन उपरोक्त दिये जायेंगे।

नोट- (1) बी.एस.-सी. तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर में उन्हीं विषयों में प्रवेश दिया जाता है, जिन्हें विद्यार्थी ने अर्हकारी परीक्षा में लिया था।

(2) उपरोक्त प्रदर्शित विषय समूह प्रथम सेमे. हेतु हैं। हिन्दी/अंग्रेजी भाषा का पाठ्यक्रम अनिवार्य है।

(3) भौमिकी पंचम/षष्ठम सेमेस्टर हेतु स्वयं के व्यय से अध्ययन यात्रा अनिवार्य है। शासन के नियमानुसार महाविद्यालय भी कुछ सहायता दे सकता है।

(4) किसी विषय समूह में पर्याप्त छात्र संख्या उपलब्ध न होने पर वह विषय समूह निरस्त किया जा सकता है।

(5) 10 + 2 कृषि के विद्यार्थी जीव विज्ञान समूह (बीज तकनीक, मत्स्य एवं औद्योगिक मात्स्यिकी) में ही प्रवेश ले सकते हैं।

(5) प्रवेश के नियम

5.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना

महाविद्यालय में प्रवेश के लिये निर्धारित आवेदन-पत्र सम्पन्न प्रमाण पत्रों सहित 21 जून से दिनांक 25 जून तक जमा किये जायेंगे। इसके पश्चात् प्रवेश हेतु आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंक सूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाणित किये जाने पर बिना अंक सूची के आवेदन-पत्र जमा किये जाएँ। बोर्ड/विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणामों की घोषणा नहीं होने पर प्रावधिक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर आवेदन-पत्र जमा किए जाएँ। इंटरनेट से डाउन लोड की गई अंकसूची भी मान्य होगी। मुक्त विद्यालय/विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को भी परीक्षा परिणाम घोषित न होने पर शपथ-पत्र प्रस्तुत करने पर प्रावधिक प्रवेश देने की पात्रता होगी।

5.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना

स्थानान्तरण प्रकरणों को छोड़कर 26 जून तक प्राचार्य स्वयं तथा 30 जून तक संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। निर्धारित तिथि तक परीक्षा परिणाम घोषित नहीं होने की स्थिति में प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रवेश नियमित हो जायेगा एवं अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त हो जायेगा।

कर्मचारियों के स्थानान्तरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र/पुत्रियों को आवेदित कक्षा में स्थान रिक्त होने पर सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये। इस हेतु कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं आवेदक का प्रवेश निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व, अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने पर ही दिया जायेगा। कर्मचारी के स्थानान्तरण के पश्चात् निर्धारित मुख्यालय के किसी भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त न होने पर कुलपति की अनुमति से कर्मचारी के परिवार के विद्यार्थी को प्रवेश दिया जा सकता है।

5.3 स्नातक स्तर पर नियमित प्रवेश

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी 10+2 का तात्पर्य मध्यम माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित या संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य राज्य के विद्यालयों की इंटरमीडियट बोर्ड की समकक्ष परीक्षा से है। इन आवेदकों को महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र लेकर आवेदन के साथ लगाना आवश्यक होगा।

(ख) 10+2 कृषि से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को, प्रथम सेमेस्टर में केवल जीव विज्ञान समूह में प्रवेश दिया जा सकता है।

(ग) अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता होगी। अनुसूचित जाति एवं अनु. जनजाति के विद्यार्थियों को नियमानुसार अंकों में छूट की पात्रता होगी।

5.4 स्नातकोत्तर स्तर पर नियमित प्रवेश

कक्षा अर्हकारी परीक्षा -

(क) संबंधित विषय के साथ बी.एससी. उपाधि
(ग) स्नातकोत्तर प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में उत्तीर्ण/कुल दो प्रश्नपत्रों में ए.टी.के.टी.प्राप्त विद्यार्थियों को उसी विषय के तृतीय सेमेस्टर में स्थान रिक्त होने पर प्रवेश की पात्रता होगी।
(घ) अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता होगी।

5.5 स्नातक प्रथम सेमेस्टर में पूरक छात्रों को प्रवेश

स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिये हायर सेकेण्डरी (सेन्ट्रल बोर्ड+माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल) की परीक्षाओं में जिन विद्यार्थियों को पूरक की पात्रता आई थी तथा पूरक परीक्षा में उनके उत्तीर्ण होने पर विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु पूरक परीक्षा

परिणाम घोषित होने के दिनांक से 15 दिनों तक महाविद्यालय में नियमित प्रवेश, स्थान रिक्त होने तथा गुणानुक्रम में आने पर प्राचार्य द्वारा दिया जा सकेगा। किन्तु इन विद्यार्थियों को सेमेस्टर के प्रारंभ में अपने सावित्व पर प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

(6) प्रवेश संख्या का निर्धारण

प्रत्येक सेक्शन में 60 स्थान निर्धारित है। शासन के नियमानुसार सीटों में आरक्षण रहेगा।

(7) प्रवेश सूची

प्राचार्य द्वारा, प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्रार्थकों एवं जहाँ अधिभार देय है, वहाँ अधिभार देकर कुल प्रार्थकों की गुणानुक्रम सूची प्राप्त प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर 26 जून 2010 को लगाई जायेगी तथा इसकी प्रति को महाविद्यालय की वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया जावेगा। निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये। घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलंब शुल्क रुपये 100/- जनभागीदारी मद में अतिरिक्त रूप से लेकर प्रवेश दिया जा सकेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 30 जून के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि अंतिम तिथि तक शुल्क जमा नहीं किया जाता है तो प्रवेश निरस्त माना जाएगा।

(8) प्रवेश की पात्रता

8.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा

(क) म.प्र. के मूल/स्थायी, म.प्र. में स्थायी संपत्तिधारी निवासी, राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदोन्नति म.प्र. में हो, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू, कश्मीर के विस्थापितों/विद्यार्थियों तथा उनके आश्रितों/भूटान के विद्यार्थियों को महाविद्यालय में प्रवेश

दिया जावेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य स्थानों के बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) संबंधित विश्वविद्यालय से या संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों/महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) कश्मीर के विस्थापितों के लिये निम्न प्रावधान लागू होंगे -

1. प्रवेश की अंतिम तिथि में 30 दिन की छूट।
2. न्यूनतम प्रवेश प्रार्थकों में 10 प्रतिशत की छूट, इस बात का ध्यान रखते हुए कि पात्रता की अन्य शर्तें पूरी होती हों।
3. मूल निवासी अनिवार्यता से पूर्ण छूट।
4. द्वितीय और आने वाले वर्षों में आवर्जन की सुविधा।

(9) समकक्ष परीक्षा

9.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्डों की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

9.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालय जो भारतीय विश्वविद्यालय संध (एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएं म.प्र. के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है।

9.3 संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं जिनकी परीक्षा/उपाधि मान्य नहीं है की जानकारी प्राचार्य संबंधित विश्वविद्यालय से प्राप्त करेंगे।

9.4 माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में विज्ञान से मिलते जुलते विषय यथा लेबोरेट्री मेडिसिन मैनेजमेंट एवं सिस्टम एनालिसिस, क्लिनिकल बायोकैमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट सिस्टम तथा कम्प्यूटर से संबंधित विषय और प्रिंटिंग आफ डाटा-प्रोसेसिंग मैनेजमेंट एण्ड सिस्टम एनालिसिस, टी. डी.पी.पैकेज प्रोग्रामिंग, वर्क शॉप प्रैक्टिस आदि सम्मिलित हैं। उपरोक्त विषयों के साथ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा

संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रम 10+2 के उत्तीर्ण छात्रों को विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरांत संबंधित संकाय में प्रवेश दिया जायेगा। ऐसे आवेदकों को प्रवेश आवेदन के साथ विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रता/अर्हता प्रमाण-पत्र लगाना अनिवार्य होगा। किसी भी कक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता संबंधी निर्धारण में संदेह होने पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रता प्रमाण-पत्र को अंतिम माना जायेगा।

- 9.5 मध्यप्रदेश संस्कृत बोर्ड की उल्लर मध्यमा परीक्षा को हायर सेकेण्डरी परीक्षा के समकक्ष माना जायेगा।

(10) बाह्य आवेदकों का प्रवेश

- 10.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./ बी.काम./ बी.एससी./ बी.एससी. (गृह विज्ञान) में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से म.प्र. के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बंधित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 10.2 म.प्र. के बाहर स्थित विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष परीक्षा म.प्र. के अन्य विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर की प्रथम परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बंधित विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषय/विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

(11) प्रावधिक प्रवेश की पात्रता

प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। स्नातक में प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ तक कुल दो विषयों में ए.टी.के.टी. प्राप्त आवेदकों को अगले

सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में दो प्रश्नपत्रों में ए.टी.के.टी. (Allowed to keep term) प्राप्त आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

ए.टी.के.टी. से संबंधित प्रवेश नियम

1. स्नातक पाठ्यक्रम की अवधि तीन वर्ष की होगी इसमें कुल 6 सेमेस्टर होंगे। प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में 2 सेमेस्टर होंगे। स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम अधिकतम 5 वर्ष में पूर्ण करना है। प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में सभी विषय की प्रायोगिक (जहाँ लागू है) एवं सैद्धांतिक परीक्षा होगी। दो विषय में अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित रहने पर विद्यार्थी को ए.टी.के.टी. (Allowed to keep term) की पात्रता होगी अर्थात् विद्यार्थी को अगले सेमेस्टर में स्वतः प्रवेश मिल जायेगा।
2. स्नातक पंचम सेमेस्टर में उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा जिनका प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर (प्रथम वर्ष) पूर्णतया उत्तीर्ण हो। अन्य अनुत्तीर्ण विद्यार्थी पूर्व छात्र के रूप में प्रथम/द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होंगे।
3. (अ) उपर्युक्त कंडिका (4) के अनुसार जिन विद्यार्थियों को पूर्व छात्र की श्रेणी में रखा गया था वे आगामी सेमेस्टर की मुख्य परीक्षाओं में सम्मिलित होंगे। उत्तीर्ण होने की स्थिति में उन्हें जुलाई माह से प्रारंभ होने वाले सत्र में नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा।

(12) प्रवेश हेतु पात्रता/अपात्रता

- 12.1 जिन आवेदकों के विरुद्ध न्यायालय में आपराधिक प्रकरण चालान प्रस्तुत किया गया हो/ न्यायालय में आपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में विद्यार्थियों/ अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर प्रमाणित आरोप हों/ चेतनावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो तो ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिये प्राचार्य अधिकृत नहीं है।
- 12.2 महाविद्यालय में तोड़ फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने के प्रमाणित दोषी/रैगिंग के प्रमाणित आरोपी विद्यार्थियों को प्राचार्य प्रवेश देने के लिये अधिकृत नहीं है। रैगिंग के संदर्भ में यू.जी.सी. के ज्ञाप क्र. एफ-1-16/2007 (सी पी पी 11) अप्रैल 2009 के मार्गदर्शी निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।
- 12.3 (क) स्नातक स्तर प्रथम सेमेस्टर में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना एक जुलाई की स्थिति में की

जायेगी। अंतिम प्रवेश सूची जारी होते समय स्थान रिक्त होने पर उम्र का बंधन शिथिल कर प्रवेश दिया जा सकेगा।

(ख) आयु सीमा का यह बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुसंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अथवा किसी विदेशी सरकार द्वारा अनुसंसित विदेशों से अध्ययन हेतु भेजे गये विद्यार्थियों अथवा विदेश से अध्ययन के लिये विदेशी मुद्रा में पैमेंट सीट पर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों पर लागू नहीं होगा।

(ग) योग्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आयु सीमा का बंधन नहीं होगा।
(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।

(ङ.) विकलांग, सामान्य निःशक्तजन वर्ग के आवेदकों को स्नातक कक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में 35 वर्ष होगी तथा इन आवेदकों को प्राप्तांकों पर 5 प्रतिशत अधिभार प्रदान किया जायेगा।

(च) प्राच्य पद्धति के संस्कृत महाविद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष एवं स्नातकोत्तर में तीस वर्ष होगी।

12.4 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी को उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोजित का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा। किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों को, (विधि संकाय) को छोड़कर अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

(13) प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण

13.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा से प्राप्तांकों एवं अधिभार देय है तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत

अंकों के आधार पर गुणानुक्रम निर्धारित किया जाएगा।

13.2 सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जाएगी।

13.3 प्राच्य पद्धति के संस्कृत महाविद्यालयों में शाला स्तर के अध्यापन का कार्य होने के कारण जिस बोर्ड से उनके पाठ्यक्रमों को संबद्धता प्राप्त हो उसी बोर्ड के प्रवेश नियमों को मान्य किया जाएगा।

(14) प्रवेश हेतु प्राथमिकता

किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश, महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

(15) आरक्षण मध्य प्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा

15.1 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के लिए क्रमशः 16 तथा 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनशील होंगे।

15.2 पिछड़े वर्ग के (ब्रीमीलेयर छोड़कर) आवेदकों के लिये 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे।

15.3 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों, पौत्र और पौत्रियों/भारतीय सेना में कर्तव्य के दौरान वीरगति को प्राप्त अथवा स्थाई रूप से अंगंग हुए सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों, भूतपूर्व तथा वर्तमान में कार्यरत सेना के कर्मियों (Defence personnel) के आश्रितों को तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिए उपयुक्त रूप से 03 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे। इससे संबद्ध विकलांग आवेदकों को प्राप्तांकों के 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर, तीन वर्गों का, सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जाएगा, परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिए आरक्षित स्थानों में से ही उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय सेना के उक्त प्रकार के सेना कर्मियों/अधिकारियों के लिए प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा -

1. युद्ध के दौरान शहीद की विधवा एवं उनके आश्रित।
2. युद्ध के दौरान स्थायी रूप से अंगंग, कार्यरत सैनिकों एवं उनके आश्रित।
3. शांति के दौरान सेवकाल में शहीद के आश्रित।
4. शांति के दौरान सेवकाल में स्थायी रूप से अंगंग तथा उनके आश्रित।
5. निम्नलिखित शौर्य पदकों से सम्मानित सेवारत अथवा पूर्व सैनिकों के

आश्रित, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, उत्तम सेवा मेडल, वीर चक्र, शौर्य चक्र, युद्ध सेवा मेडल, सेना, नौसेना, वायु सेना मेडल पत्रों में उल्लेख।

6. भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित।
7. कार्यरत सैनिकों के आश्रित।

15.4 निःशक्तजन श्रेणी के आवेदक के लिये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जावेंगे परन्तु यह आरक्षण उनके संबंधित संवर्ग के लिये आरक्षित स्थान में ही उपलब्ध कराया जावेगा। निःशक्तजनों के प्रवेश के समय अर्हतादायी अंकों में 5 प्रतिशत की छूट दी जावेगी।

15.5 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

15.6 उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन तथा उसके अधीनस्थ कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्राचार्यों, प्राध्यापकों, ग्रंथपालों, क्रीडा अधिकारियों, रजिस्ट्रारों एवं शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों के लिए सभी सम्बन्धित संवर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे।

15.7 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी/ओपन प्रतिस्पर्धा में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे-स्वतंत्र संश्रम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, संवर्ग की शेष सीटें भरी जावेगी।

15.8 अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं के ऐसे पाठ्यक्रमों में जहाँ प्रवेश किसी प्रवेश-परीक्षा के माध्यम से दिया जाता है, आरक्षण का प्रावधान लागू नहीं होगा, किन्तु प्रवेश प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा।

15.9 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

15.10 प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि तक आरक्षित स्थानों के लिये

पर्याप्त विद्यार्थी उपलब्ध न होने पर आरक्षित स्थान अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिये उपलब्ध रहेंगे।

15.11 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा।

(16) अधिभार

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिए ही प्रदान किया जायेगा। प्राप्त प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। अर्हकारी परीक्षा के प्रश्नों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार का लाभ देय होगा।

16.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स (स्काउट्स शब्द को स्काउट/गार्ड्स/रजेंट्स के अर्थ में पढ़ा जावे) :

(क) एन.सी.सी./एन.एस.एस. 'ए' सर्टीफिकेट 02 प्रतिशत
(ख) एन.सी.सी./एन.एस.एस. 'बी' सर्टीफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स 03 प्रतिशत

(ग) 'सी' सर्टीफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट 04 प्रतिशत

(घ) राज्य स्तरीय (संचालनालयीन) एन.सी.सी. प्रतियोगिता 04 प्रतिशत

(च) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में मोग्रो के एन.सी.सी. कन्ट्रिब्यूट में भाग लेने वाले विद्यार्थी को 05 प्रतिशत

(छ) राज्यपाल स्काउट 05 प्रतिशत

(ज) राष्ट्रपति स्काउट 10 प्रतिशत

(झ) म.प्र. का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. केडेट 10 प्रतिशत

(ड) ड्यूक आफ एडिनबर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. केडेट 15 प्रतिशत

(र) भारत व अन्य राष्ट्रों के मध्य युद्ध एक्चेंज प्रोग्राम 15 प्रतिशत

(ल) एन.सी.सी./एन.एस.एस. के तहत चयनित एवं प्रवास करने वाले केडेट को अन्तर्राष्ट्रीय जम्हूरी के लिये चयनित करने वाले विद्यार्थियों को 10 प्रतिशत

(व) भारतीय रेडक्रास सोसायटी द्वारा प्रमाणित उत्कृष्ट गतिविधियों के लिये (प्रस्तावित) 02 प्रतिशत

- (श) जूडो/कराटे लम्बससबू 02 प्रतिशत ठठवूद 03 प्रतिशत दसंबा 04 प्रतिशत
- 16.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नाकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर। 10 प्रतिशत
- 16.3 खेलकुद / साहित्यिक/सांस्कृतिक /किज/रूपांकन प्रतियोगिताएं-
- (1) लोकशिक्षण संचालनालय अथवा म0प्र0 उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला संभाग स्तर पर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में -
- (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को- 02 प्रतिशत
- (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को- 04 प्रतिशत
- (2) उपर्युक्त कंडिका 13.4(1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अंतर संभाग/राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर क्षेत्रीय/राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा भारतीय अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में:-
- (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को- 06 प्रतिशत
- (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को- 07 प्रतिशत
- (ग) संभाग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को- 05 प्रतिशत
- (3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में:-
- (क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को - 15 प्रतिशत
- (ख) टीम प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को - 12 प्रतिशत
- (ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को - 10 प्रतिशत
- 16.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को- 10 प्रतिशत
- 16.5 मध्यप्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में -
- (क) म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को- 10 प्रतिशत
- (ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली म0प्र0 की टीम के सदस्यों को- 12 प्रतिशत
- (ग) बशर्तकि म.प्र. शासन से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र संबंधित जिले के खेल अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना अनिवार्य होगा।
- 16.6 जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को-01%।
- 16.7 विशेष प्रोत्साहन एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ केडेटस तथा ओलम्पिक एशियाड/सपोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया एस.जी.एफ.आई. द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में प्रवेश दिया जावे जिनकी उन्हें पात्रता है : बशर्तकि -
- (1) इस प्रकार के प्रमाण पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण मध्यप्रदेश द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो एवं
- (2) यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयवधि क अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय को प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 16.8 प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले 4 क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र/स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जावेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय में प्रवेश हेतु तब के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।
- 16.9 राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं जिनमें राज्य सरकार सह प्रायोजक होती है वहाँ प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त विद्यार्थियों को अधिभार का प्रतिशत कण्टिका 13.4 के अनुषंग होगा।

(17) संकाय/विषय/गुण परिवर्तन

- (क) स्नातक/ स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्रामाणों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा। अधिभार पड़े हुए, प्रामाणों पर देय होगा।
- (ख) महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 15 जुलाई तक दी जायेगी।

24/5/2010 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित किये गये हैं। उक्त पत्र उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट www.mp.gov.in/highereducation पर उपलब्ध है।)

म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग एवं महाविद्यालय प्रशासन से यदि प्रवेश सम्बन्धी नियमों में संशोधन अथवा नए नियम प्राप्त होते हैं तो उपरोक्त नियमों के स्थान पर नए नियम तत्काल प्रभावशील होंगे।

(18) विशेष

- 18.1 जाली प्रमाण पत्रों के आधार पर/गलत जानकारी देकर, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीबश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 18.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण पूर्व अनुमति या सूचना के बिना, लगातार पंद्रह दिवस तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 18.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरण में लिप्त विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य का होगा।
- 18.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को अवधान राशि (कांशान मनी) के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
- 18.5 तकनीकी/व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश हो जाने पर विद्यार्थी को मात्र 100/- प्रक्रिया काटकर जमा की गई सम्पूर्ण शुल्क की राशि वापिस की जाएगी। प्रावधिक प्रवेश प्राप्त विद्यार्थी अनुत्तीर्ण घोषित होने पर रुपये 100/- प्रक्रिया शुल्क काटकर शेष राशि वापिस कर दी जाएगी।

(प्रवेश नियम आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 566/अका. प्र./आउशि/010 भोपाल दि.

(19) उपस्थिति संबंधी नियम

(क) महाविद्यालय द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता के लिए प्रत्येक विषय में 75% उपस्थिति आवश्यक है। केवल विशेष कारणों में जैसे- अस्वस्थता, दुर्घटना, खेलकूद, एन.सी.सी., ट्रेनिंग, एन.एस.एस. शिविर या महाविद्यालयीन गतिविधियों में भाग लेने पर प्राचार्य कुछ छूट दे सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में 75% से कम उपस्थिति नहीं होना चाहिए। जिन विद्यार्थियों की उपस्थिति 75% से कम होगी उन्हें स्नातक एवं स्नातकोत्तर (कक्षाओं) में स्वाध्यायी परीक्षाधी के रूप में सम्मिलित होना पड़ेगा बशर्तें वे आन्तरिक मूल्यांकन परीक्षा एवं परियोजना कार्य पूर्ण कर चुके हों।

(ख) उपस्थिति की गणना सत्र में हुए व्याख्यानों से की जाएगी। उपस्थिति ज्ञात करने का उत्तरदायित्व विद्यार्थी का होगा।

लगातार एक माह बिना वैध कारण से अनुपस्थित रहने पर विद्यार्थी का नाम महाविद्यालय से निरस्त हो जाएगा। विशेष परिस्थितियों में पुनः प्रवेश दिया गया तो शासकीय नियमानुसार पुनः शुल्क देय होगा।

महत्वपूर्ण (विशेष) : उपस्थिति

म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अधीन बनाये गये अध्यादेश क्रमांक 6 के अनुसार महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता के लिये 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है। इस प्रावधान का पालन दृढ़ता से किया जायेगा। उपस्थिति पूरी न होने पर परीक्षा में नियमित विद्यार्थी के रूप में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं होगी।

(20) परीक्षा योजना

स्वशासी योजना के अन्तर्गत शास. होलकर विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर स्वयं अपनी परीक्षाएं आयोजित करता है। महाविद्यालय में स्नातक

एवं स्नातकोत्तर स्तर पर, पूर्व से ही सेमेस्टर पद्धति लागू है। आयुक्त उच्चशिक्षा, मध्यप्रदेश शासन की मंशा अनुसार महाविद्यालयों में सेमेस्टर पद्धति में समानता, परीक्षा योजना, अंक विभाजन, परीक्षा कार्यक्रम एवं परीक्षा परिणाम जारी किये जाने में एकरूपता रहे, इस कारण महाविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर शासन द्वारा प्रदत्त नई परीक्षा योजना लागू की गई है। इसके अनुसार :

(क) स्नातक स्तर -

1. प्रत्येक विषय में दो प्रश्नपत्र रखे गये हैं। गणित, रसायन शास्त्र एवं आधारभूत पाठ्यक्रम में कुल तीन प्रश्नपत्र रखे गये हैं।
2. ऐसे समस्त विषय जिनमें दो प्रश्नपत्र एवं प्रायोगिक कार्य किया जाता है, प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक 50 होंगे। प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्नपत्र अधिकतम 35 अंकों का एवं सतत् आन्तरिक मूल्यांकन (C.C.E.) 15 अंकों का होगा। प्रायोगिक कार्य 50 अंकों का पृथक से रहेगा।
3. ऐसे विषय, जिनमें तीन प्रश्नपत्र एवं प्रायोगिक कार्य किया जाता है (जैसे रसायनशास्त्र), में तीनों प्रश्नपत्रों का C.C.E. सहित योग 100 रहेगा। प्रथम प्रश्नपत्र के अधिकतम अंक 24 तथा द्वितीय एवं तृतीय प्रश्नपत्र क्रमशः 23, 23 अंकों के होंगे। C.C.E. का योग 30 अंक रहेगा। प्रायोगिक कार्य 50 अंकों का होगा।
4. ऐसे विषय जिनमें तीन प्रश्नपत्र होते हैं एवं प्रायोगिक कार्य नहीं होता, जैसे गणित का कुल योग 150 रहेगा। प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्नपत्र 35 अंकों का एवं उसका C.C.E. 15 अंकों का होगा। इस प्रकार कुल सैद्धांतिक परीक्षा 105 अंकों की एवं कुल C.C.E. 45 अंकों की होगी।

स्नातक स्तर पर आधारभूत पाठ्यक्रम हेतु परीक्षा योजना एवं अंक विभाजन :-

प्रत्येक सेमेस्टर में प्रथम प्रश्नपत्र हिन्दी भाषा का, द्वितीय प्रश्नपत्र अंग्रेजी भाषा का तथा तृतीय प्रश्नपत्र, प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में उद्यमिता विकास (Entrepreneurship Development) का, तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में पर्यावरण अध्ययन (Environmental Studies) का तथा पंचम एवं षष्ठ्य सेमेस्टर में कम्प्यूटर जागरूकता (Computer Awareness) का होगा। भाषा विषयों के सैद्धांतिक प्रश्नपत्र 35-35 अंकों के होंगे एवं इनके C.C.E. 15-15 अंकों के रहेंगे। तृतीय प्रश्नपत्र के अधिकतम अंक 30 होंगे

तथा इसका C.C.E. 10 अंकों का रहेगा। शेष 10 अंक सर्वे कार्य / क्षेत्रीय कार्य आदि के रूप में रहेंगे। आधारभूत पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषय में 33% प्राप्तांक सेमेस्टर परीक्षा में तथा 33% प्राप्तांक C.C.E. में पृथक-पृथक अर्जित करना अनिवार्य है। हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा तथा तृतीय अवयव तीनों अलग-अलग विषय माने जावेंगे।

सतत् व्यापक मूल्यांकन हेतु अनुदेश :-

सतत् व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थियों को ज्यादा-से-ज्यादा समय अकादमिक गतिविधियों में व्यस्त रखना है। प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक विषय में व्यापक सतत् मूल्यांकन (C.C.E.) में उपस्थित रहना अनिवार्य है। इस मूल्यांकन कार्य हेतु गैर-पारम्परिक विधाओं का उपयोग किया जायेगा।

प्रत्येक विषय के सैद्धांतिक प्रश्नपत्रों हेतु निर्धारित कुल अंकों का 30 प्रतिशत, सतत् व्यापक मूल्यांकन के लिए आवंटित रहेगा।

प्रत्येक सेमेस्टर में सतत् व्यापक मूल्यांकन के 30 प्रतिशत अंकों को दो समान चरणों (C.C.E.-I) एवं (C.C.E.-II) में विभाजित किया गया है। सतत् मूल्यांकन कार्य में दोनों अथवा तीनों प्रश्नपत्रों का समावेश किया जावेगा। C.C.E.-I एवं C.C.E.-II में संयुक्त रूप से 33 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य है।

दोनों सतत् मूल्यांकन चरणों के पर्याप्त विषयवार अंकों का संयोजन कर, विद्यार्थियों हेतु प्राप्तांकों को सूचना पटल पर अवलोकनार्थ प्रदर्शित किया जावेगा।

परियोजना कार्य हेतु अनुदेश :-

प्रत्येक सेमेस्टर में प्रत्येक विद्यार्थी को एक परियोजना कार्य (Project Work) पूर्ण कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। परियोजना कार्य के अन्तर्गत रोजगार / स्वरोजगार हेतु खोजे जाने वाले अवसर विद्यार्थी के विषय से संबंधित होना चाहिये। स्नातक प्रथम सेमेस्टर से विद्यार्थी को रोजगार-मूलक परियोजना कार्य (Job Oriented Project Work) से सम्बन्ध कर, उसी विधा में अंतः रोजगार के योग्य बनाना है। परियोजना कार्य सुचारु रूप से संचालित करने हेतु मार्गदर्श निर्देश निम्नानुसार हैं -

1. प्रत्येक सेमेस्टर में विद्यार्थी को 50 अंकों का एक परियोजना कार्य पूर्ण करना अनिवार्य है।
2. विद्यार्थी द्वारा परियोजना कार्य किसी ऐसी संस्था से जुड़कर संस्थान के निर्देशन में करना होगा जो विषय में रोजगार के अवसर प्रदान कर सकता हो।
3. प्रत्येक विद्यार्थी को उसके द्वारा लिये गये तीन प्रमुख विषयों में से

(आधारभूत पाठ्यक्रम को छोड़कर) किसी एक विषय से संबंधित परियोजना कार्य पूर्ण करना होगा।

- विद्यार्थी को परियोजना कार्य, मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित कार्य क्षेत्रों की सूची में से अथवा स्थानीय परिवेश में उपलब्धता के आधार पर विषय के अनुसार विकल्प चयन करना होगा।
- प्रत्येक विद्यार्थी को परियोजना कार्य से संबंधित प्रतिवेदन (रिपोर्ट) निर्धारित प्राप्ति में प्रत्येक सेमेस्टर में अंतिम शैक्षणिक कार्य-दिवस के 15 दिवस पूर्व अनिवार्यतः अपने मार्गदर्शक शिक्षक (गाईड) के माध्यम से जमा कराना होगा।
- परियोजना कार्य हेतु न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक उत्तीर्ण होने हेतु अनिवार्य हैं। इससे कम अंक अर्जित करने अथवा परियोजना कार्य जमा नहीं करने की स्थिति में विद्यार्थी को परीक्षा के नियमानुसार A.T.K.T. प्रदान की जावेगी अथवा अनुत्तीर्ण घोषित किया जावेगा।
- परियोजना कार्य हस्तलिखित, पाठ्यक्रम के अन्तर्गत एवं अनुरूप होना चाहिए।
- प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत परियोजना कार्य प्रतिवेदन (Project Report) पर एक मौखिक परीक्षा (Viva Voce) का आयोजन संबंधित विभाग द्वारा किया जावेगा।
- विषय सेमेस्टर्स (प्रथम/तृतीय/पंचम) के विद्यार्थियों के लिए परियोजना कार्य के मूल्यांकन का स्वरूप (यथा मौखिक परीक्षा) आंतरिक होगा। इन सेमेस्टर्स में परियोजना कार्य का मूल्यांकन मार्गदर्शक द्वारा किया जावेगा।
- सम सेमेस्टर्स (द्वितीय/चतुर्थ/षष्ठम) के विद्यार्थियों के लिए परियोजना कार्य के मूल्यांकन का स्वरूप बाह्य होगा। इन सेमेस्टर्स में परियोजना कार्य का मूल्यांकन स्वशासी महाविद्यालय के प्राचार्य/परीक्षा नियंत्रक द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षकों द्वारा आंतरिक परीक्षकों अथवा मार्गदर्शकों के सहयोग से किया जावेगा।
- परियोजना कार्य की मौखिक परीक्षा, परियोजना कार्य प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के 10 दिवसों के अन्दर आयोजित की जावेगी।
- परियोजना कार्य में मूल्यांकन का आधार एवं अंक विभाजन

निम्नानुसार रहेगा -

- परियोजना कार्य का प्रतिवेदन (Project Report) : 25 अंक
- परियोजना कार्य का प्रस्तुतीकरण (Presentation of Project) : 15 अंक
- परियोजना कार्य पर मौखिक परीक्षा (Viva Voce on Project) : 10 अंक

परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए निर्देश :-

प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर में उत्तीर्ण होने हेतु निम्न अर्हताएँ अनिवार्य हैं -

- प्रत्येक विषय के सभी प्रश्नपत्रों का योग 33 प्रतिशत होना आवश्यक है।
- प्रत्येक विषय के C.C.E. में 33 प्रतिशत अंक पृथक से होना आवश्यक है।
- प्रत्येक विषय के सैद्धांतिक प्रश्नपत्र एवं C.C.E. का योग 33 प्रतिशत होना आवश्यक है।
- प्रत्येक विषय के प्रायोगिक कार्य में पृथक से 33 प्रतिशत अंक होना आवश्यक है।
- प्रत्येक विषय के सैद्धांतिक प्रश्नपत्र, C.C.E. एवं प्रायोगिक कार्य का योग 33 प्रतिशत होना आवश्यक है।
- आधारभूत पाठ्यक्रम के तृतीय प्रश्नपत्र में क्षेत्रीय कार्य/असाइनमेंट में पृथक से 33 प्रतिशत अंक होना आवश्यक है।
- रोजगार मूलक परियोजना कार्य में पृथक से 33 प्रतिशत अंक होना आवश्यक है।

कृपांक हेतु नियम :-

- स्नातक स्तर पर A.T.K.T. एवं उत्तीर्ण होने के लिए सैद्धांतिक परीक्षा में एक अंक के कृपांक की पात्रता होगी।
- श्रेणी सुधार हेतु एक अंक के कृपांक की पात्रता केवल अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में होगी। किसी भी विद्यार्थी को एक साथ दो प्रकार के कृपांक का लाभ नहीं दिया जा सकेगा।

A.T.K.T. की पात्रता हेतु निर्देश :-

- स्नातक स्तर पर मध्यप्रदेश शासन के निर्णयानुसार दो विषयों में A.T.K.T. की पात्रता होगी।

- यदि विद्यार्थी समस्त C.C.E. में उपस्थित हुआ हो किन्तु अपरिहार्य कारणों से दो विषयों की स्नातक परीक्षा में उपस्थित न हुआ हो, तो उसे मुख्य सैद्धांतिक परीक्षा में संबंधित विषयों में A.T.K.T. की पात्रता रहेगी।
- यदि विद्यार्थी समस्त C.C.E. में उपस्थित हुआ हो किन्तु दो विषय में निर्धारित प्रामाणिक अर्जित न कर पाया हो, तो उसे संबंधित विषयों में A.T.K.T. की पात्रता रहेगी।
- यदि विद्यार्थी स्नातक स्तर पर समस्त C.C.E. में उपस्थित न हुआ हो तथा मुख्य सैद्धांतिक परीक्षा में किन्हीं दो विषयों में अनुपस्थित रहा हो तो उसे A.T.K.T. की पात्रता नहीं होगी।
- A.T.K.T. परीक्षा में निर्धारित अंक अर्जित न कर पाने की स्थिति में विद्यार्थी को पुनः A.T.K.T. की पात्रता नहीं होगी तथा उसे अनुत्तीर्ण घोषित किया जावेगा।**
- यदि स्नातक स्तर पर विद्यार्थी को विगत सेमेस्टर में A.T.K.T. है व आगामी सेमेस्टर में उत्तीर्ण होता है किन्तु A.T.K.T. (निकटतम सेमेस्टर) में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उसे अनुत्तीर्ण घोषित किया जावेगा तथा अगले वर्ष भूतपूर्व विद्यार्थी (Exstudent) के रूप में रूके हुए सेमेस्टर में पुनः बैठना होगा।
- अगस्त/जनवरी माह में A.T.K.T. परीक्षा आयोजित की जावेगी। A.T.K.T. परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए केवल एक अवसर प्रदान किया जावेगा।

स्नातकोत्तर स्तर

शैक्षणिक सत्र 2008-09 से स्नातकोत्तर स्तर पर भी मध्यप्रदेश शासन के उच्चशिक्षा विभाग द्वारा प्रेषित परीक्षा योजना एवं अंक विभाजन प्रारंभ किया गया है। सत्र 2009-10 से स्नातकोत्तर स्तर पर चारों सेमेस्टर में नवीन योजना लागू हो गई है। नवीन योजना निम्नानुसार है -

- प्रत्येक विषय के प्रत्येक प्रश्नपत्र का अधिकतम योग 50 अंकों का रहेगा। प्रत्येक प्रश्नपत्र हेतु सैद्धांतिक परीक्षा (Theory Exam) एवं सतत् आन्तरिक मूल्यांकन (C.C.E.) अनिवार्य है। प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्नपत्र 35 अंकों का एवं संबंधित प्रश्नपत्र का सतत् आन्तरिक मूल्यांकन 15 अंकों का होगा।
- प्रत्येक विषय में प्रायोगिक कार्य 100 अंकों का रहेगा। एक

प्रायोगिक परीक्षा की स्थिति में अधिकतम अंक 100 रहेंगे। दो प्रायोगिक परीक्षा की स्थिति में, प्रत्येक प्रायोगिक परीक्षा 50-50 अंकों की होगी।

सतत् व्यापक मूल्यांकन हेतु अनुदेश :-

प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्नपत्र हेतु निर्धारित कुल अंकों का 30 प्रतिशत अर्थात् 15 अंक, सतत् व्यापक मूल्यांकन (C.C.E.) हेतु आवंटित किये गये हैं।

परियोजना कार्य हेतु अनुदेश

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में परियोजना कार्य का उद्देश्य रोजगार/स्वरोजगार के अवसरों की खोज करना एवं उस कार्य के लिए आवश्यक कौशल/ज्ञान प्राप्त करना है ताकि पाठ्यक्रम समाप्ति पर विद्यार्थी रोजगार/स्वरोजगार के लिए स्वयं को विशिष्ट बौद्धिक समाज के मध्य आत्मविश्वास से परिपूर्ण होकर प्रस्तुत कर सके। स्नातकोत्तर स्तर पर रोजगार मूलक परियोजना निम्नानुसार रहेगी -

- प्रत्येक सेमेस्टर में विद्यार्थी को लगभग 50 मानव घण्टे और 50 अंकों का एक परियोजना कार्य अनिवार्यतः पूर्ण करना होगा।
- प्रत्येक विद्यार्थी को परियोजना कार्य अपने नियमित अध्ययन काल के अतिरिक्त समय में पूर्ण करना होगा।
- प्रत्येक विद्यार्थी को परियोजना कार्य से संबंधित प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में अनिवार्यतः प्रत्येक सेमेस्टर में अंतिम शैक्षणिक कार्य दिवस के 15 दिवस पूर्व अपने निर्देशक के माध्यम से विभाग में जमा करना होगा।
- परियोजना कार्य जमा नहीं करने की स्थिति में विद्यार्थी को परीक्षा नियमानुसार A.T.K.T. अथवा अनुत्तीर्ण घोषित किया जावेगा।
- प्रथम/द्वितीय सेमेस्टर के अंत में विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत परियोजना कार्य प्रतिवेदन पर एक मौखिक परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए मौखिक परीक्षा का स्वरूप आन्तरिक होगा। इस सेमेस्टर में परियोजना कार्य का मूल्यांकन संस्थागत स्तर पर निर्देशक द्वारा किया जावेगा।
- द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए मौखिक परीक्षा का स्वरूप बाह्य होगा। इस सेमेस्टर में परियोजना कार्य का मूल्यांकन स्वाशासी महाविद्यालय के प्राचार्य/परीक्षा निबंधक द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षकों एवं आन्तरिक परीक्षकों के सहयोग से किया जावेगा।
- परियोजना कार्य की मौखिक परीक्षा, प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की

अंतिम तिथि के 10 दिवसों के अन्दर आयोजित की जावेगी।

- मौखिक परीक्षा के दौरान विद्यार्थी को परियोजना प्रतिवेदन पर प्रस्तुति (Presentation) देना होगी। यह प्रस्तुति विषय के समस्त विद्यार्थियों एवं संकाय सदस्यों की उपस्थिति में MS-Power Point के माध्यम से की जावेगी।
- परियोजना कार्य में मूल्यांकन का आधार निम्नानुसार रहेगा -
अ) परियोजना कार्य का प्रतिवेदन : 20 अंक
ब) व्यक्तिगत विकास प्रतिवेदन : 10 अंक
स) परियोजना कार्य का प्रस्तुतीकरण : 10 अंक
द) परियोजना कार्य पर मौखिक परीक्षा : 10 अंक

परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिये निर्देश :-

प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर में उत्तीर्ण होने हेतु निम्न अर्हताएँ अनिवार्य हैं -

- विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्नपत्र उत्तीर्ण करने के लिए सतत व्यापक मूल्यांकन (C.C.E.) एवं सेमेस्टर के अंत में आयोजित सैद्धांतिक परीक्षा में पृथक-पृथक न्यूनतम 34 प्रतिशत अंक अर्जित करने होंगे (अर्थात् प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्नपत्र में 35 में से 12 अंक तथा उसके C.C.E. में 15 में से 05 अंक, इस प्रकार 50 में से 17 प्राप्तांक)।
- प्रायोगिक परीक्षा एवं रोजगार मूलक परियोजना कार्य को उत्तीर्ण करने के लिए पृथक-पृथक न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक निर्धारित किये गये हैं (अर्थात् प्रत्येक प्रायोगिक परीक्षा में 50 में से 20 अंक, 100 में 40 अंक तथा परियोजना कार्य में 50 में से 20 अंक)।
- किसी भी एक सेमेस्टर को उत्तीर्ण करने के लिए विद्यार्थी को सेमेस्टर योग के लिए निर्धारित कुल अंकों के न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक अर्जित करने होंगे।

कृपांक हेतु नियम :-

- स्नातकोत्तर स्तर पर केवल A.T.K.T. से उत्तीर्ण होने के लिए मुख्य सैद्धांतिक परीक्षा में एक अंक के कृपांक की पात्रता होगी।
- श्रेणी सुधार हेतु एक अंक के कृपांक की पात्रता केवल अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में होगी। किसी भी विद्यार्थी को एक साथ दो

प्रकार के कृपांक का लाभ नहीं दिया जा सकेगा।

A.T.K.T. की पात्रता हेतु निर्देश :-

- स्नातकोत्तर स्तर पर मध्यप्रदेश शासन के निर्णयानुसार दो प्रश्नपत्रों में A.T.K.T. की पात्रता होगी।
- यदि विद्यार्थी समस्त C.C.E. में उपस्थित हुआ हो किन्तु अपरिहार्य कारणों से दो प्रश्नपत्रों में उपस्थित न हुआ हो तो उसे मुख्य सैद्धांतिक परीक्षा में संबंधित प्रश्नपत्रों में A.T.K.T. की पात्रता रहेगी।
- यदि विद्यार्थी समस्त C.C.E. में उपस्थित हुआ हो किन्तु दो प्रश्नपत्रों में निर्धारित प्राप्तांक अर्जित न कर पाया हो, तो उसे संबंधित प्रश्नपत्रों में A.T.K.T. की पात्रता रहेगी।
- A.T.K.T. परीक्षा में निर्धारित अंक अर्जित न कर पाने की स्थिति में विद्यार्थी को पुनः A.T.K.T. की पात्रता नहीं होगी तथा उसे अनुत्तीर्ण घोषित किया जावेगा।
- स्नातकोत्तर स्तर पर A.T.K.T. के लिए केवल एक अवसर प्रदान किया जावेगा।

(21) कार्यस्थल प्रशिक्षण (इंटरनशिप हेतु अनुदेश)

- वर्तमान सेमेस्टर प्रणाली में उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्नातक कक्षाओं में पंचम एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में तृतीय सेमेस्टर हेतु प्रत्येक विद्यार्थी को कार्यस्थल प्रशिक्षण (इंटरनशिप) कराने का प्रावधान रखा गया है। विद्यार्थियों को सैद्धांतिक प्रश्नपत्रों की परीक्षा नहीं देना होगी। कार्य-स्थल प्रशिक्षण की योजनानुसार ही कार्य करना होगा।
- विभाग के मार्गदर्शन के शिक्षक (गाइड) विद्यार्थियों के साथ काउंसिलिंग करके, प्रशिक्षण संस्थान का निर्धारण करेंगे। संबंधित संस्थान/संस्था के सक्षम अधिकारी का अनुमति पत्र प्राप्त हो जाने के पश्चात्, विद्यार्थी वहां इंटरनशिप हेतु जा सकेंगे।
- संबंधित संस्थान/संस्था जहां विद्यार्थी इंटरनशिप हेतु जा रहे हैं, द्वारा विद्यार्थी/विद्यार्थियों का उन्मुखीकरण किया जाकर, इंटरनशिप के दौरान कार्य आदि की रूपरेखा तैयार की जाएगी।
- दो माह का कार्य-स्थल प्रशिक्षण होगा अर्थात् विद्यार्थी चुने हुए स्थान पर दो माह तक कार्यानुभव प्राप्त करेंगे।
- इसके पश्चात् विद्यार्थी, मार्गदर्शक-शिक्षक एवं ट्रेनर के मार्गदर्शन में इंटरनशिप रिपोर्ट/डिजिटेशन तैयार कर, विभाग को सौंपेंगे।
- माह नवम्बर में निर्धारित दिन स्थानीय स्तर के बाह्य परीक्षक,

महाविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा से संबंधित शुल्क विवरण-नियमित विद्यार्थी

	परीक्षा फीस	आन्तरिक मूल्यांकन फीस	परीक्षा आवेदन पत्र फीस		आधार पाठ्यक्रम	कुल राशि
बी.एस-सी. प्रथम सेमेस्टर	1200.00	100.00	100.00		100.00	1500.00
बी.एस.सी. द्वितीय सेमेस्टर	1200.00	100.00	100.00		100.00	1500.00
बी.एस-सी. तृतीय सेमेस्टर	1200.00	100.00	100.00		100.00	1500.00
बी.एस-सी. चतुर्थ सेमेस्टर	1200.00	100.00	100.00		100.00	1500.00
	परीक्षा फीस	आन्तरिक मूल्यांकन फीस	उपाधि शुल्क	परीक्षा आवेदन पत्र फीस	आधार पाठ्यक्रम	कुल राशि
बी.एस-सी. पंचम सेमेस्टर	1200.00	100.00	-	100.00	100.00	1500.00
बी.एस-सी. षष्ठम सेमेस्टर	1200.00	100.00	200.00	100.00	100.00	1700.00
	परीक्षा फीस	आन्तरिक मूल्यांकन फीस	उपाधि शुल्क	परीक्षा आवेदन पत्र फीस		कुल राशि
एम.एस-सी. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर	1200.00	100.00	-	100.00		1400.00
एम.एस-सी. चतुर्थ सेमेस्टर	1200.00	100.00	200.00	100.00		1600.00
एम.फिल. प्रथम सेमेस्टर	1500.00	100.00	-	100.00		1700.00
एम.फिल. द्वितीय सेमेस्टर	1500.00	100.00	200.00	100.00		1900.00

शुल्क विवरण-भूतपूर्व विद्यार्थी

	परीक्षा फीस	आन्तरिक मूल्यांकन फीस	परीक्षा आवेदन पत्र फीस	आधार पाठ्यक्रम	कुल राशि
बी.एस.-सी. प्रथम सेमेस्टर	1900.00	100.00	100.00	100.00	2200.00
बी.एस.-सी. द्वितीय सेमेस्टर	1900.00	100.00	100.00	100.00	2200.00
बी.एस.-सी. तृतीय सेमेस्टर	1900.00	100.00	100.00	100.00	2200.00
बी.एस.-सी. चतुर्थ सेमेस्टर	1900.00	100.00	100.00	100.00	2200.00
बी.एस.-सी. पंचम सेमेस्टर	1900.00	100.00	100.00	100.00	2200.00
बी.एस.-सी. षष्ठम सेमेस्टर	1900.00	100.00	100.00	100.00	2200.00
एम.एस.-सी. प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर	1900.00	100.00	100.00	-	2100.00

शुल्क विवरण-ए.टी.के.टी. (सभी विद्यार्थियों हेतु)

	परीक्षा फीस	आन्तरिक मूल्यांकन फीस	परीक्षा आवेदन पत्र फीस	कुल राशि
बी.एस.-सी. सेमेस्टर परीक्षा	1500.00	-	100.00	1600.00
एम.एस.-सी. सेमेस्टर परीक्षा	1700.00	-	100.00	1800.00

- बी.एस.-सी. प्रथम सेमेस्टर तथा एम.एस.-सी. एम.फिल. पाठ्यक्रमों हेतु अन्य विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिये रुपये 200.00 नामांकन शुल्क, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर हेतु प्रवेश शुल्क के साथ पुथक से देय होगा।
- विभिन्न प्रकार के आवेदनो यथा परीक्षा आवेदन पत्र, पुनर्मूल्यांकन, पंजीयन आदि आवेदनो हेतु निर्धारित दिनांक के पश्चात रुपये 250.00 विलम्ब शुल्क देय होगा।
- भूतपूर्व विद्यार्थियों को जुलाई/जनवरी माह में पंजीयन आवेदन के साथ पंजीयन शुल्क रुपये 1000.00 देय अनिवार्य है।

मार्गदर्शक-शिक्षक एवं ट्रेनर की उपस्थिति में अपना इंटरशिप प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा। जिसका मूल्यांकन तीनों के द्वारा सम्मिलित रूप से किया जाएगा।

- (7) कार्यस्थल प्रशिक्षण के मूल्यांकन हेतु अंक व्यवस्था प्रत्येक विभाग में उपलब्ध है। निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक विद्यार्थी को कार्यस्थल प्रशिक्षण मासिक प्रगति प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(22) विद्यार्थियों के लिए आचरण संहिता

महाविद्यालय की गरिमा बनाये रखने के लिए विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे पूर्णतः अनुशासित रहें एवं महाविद्यालय के नियमों का ईमानदारी से पालन करें।

अध्ययन एवं पाठ्येतर कार्यक्रमों पर ध्यान लगाएँ। कक्षाओं में नियमित रहें। संबंधित शिक्षकों से अपनी उपस्थिति की नियमित जानकारी लेते रहें। किसी भी प्रमाण पत्र से उपस्थिति नहीं दी जावेगी। आचार संहिता के पालन न करने पर या किसी भी विवादस्पद स्थिति में प्राचार्य का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

(23) परिचय पत्र

प्रवेश प्राप्त विद्यार्थी को परिचय पत्र दिया जाता है। परिचय पत्र में समस्त पुर्तियाँ होने पर उसे सम्बन्धित प्रॉक्टर व प्राचार्य से अभिप्रमाणित कराना अनिवार्य है। अभिप्रमाणित परिचय-पत्र के अभाव में छात्र को कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी एवं ग्रंथालय से पुस्तकें भी नहीं मिलेंगी। इस महाविद्यालय के समारोहों, टी.सी., छात्रवृत्ति और पूर्व अंश प्रमाण पत्र लेते समय अथवा कभी भी निरीक्षण के समय परिचय पत्र बतलाना आवश्यक है। इसे सदैव अपने पास रखें। इसके खो जाने पर इसकी सूचना तुरंत महाविद्यालय प्रशासन एवं पुलिस थाना को देनी चाहिये। पुलिस थाने में की गई रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न करने पर ही डुप्लीकेट परिचयपत्र बनाया जायेगा।

(24) आवश्यक सूचनायें :

1. महाविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में सेमेस्टर पद्धति लागू है।
2. आवेदक एवं उनके अभिभावक से अपेक्षा है कि विवरणिका को पूर्णतः पढ़ लें। विद्यार्थी अपना प्रवेश आवेदन फार्म स्वयं भरे एवं महाविद्यालय में स्वयं आकर जमा करें।
3. विद्यार्थी अपना प्रवेश शुल्क स्वयं जमा करें तथा मूल प्रवेश रसीद प्राप्त करें। मूल रसीद सावधानीपूर्वक संभालकर रखें।
4. प्रवेश आवेदन फार्म के साथ अपनी अंकसूची एवं अन्य समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियाँ अनिवार्य रूप

से संलग्न करें। प्रवेश के समय मूल अंकसूची तथा प्रमाण-पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करें। आवेदन फार्म के साथ संलग्न किये गये प्रमाण-पत्रों के आधार पर प्रवेश अधिभार प्रदान किया जायेगा।

5. महाविद्यालय में प्रवेश संबंधी समस्त नियम एवं सूचनाएं समय-समय पर सूचना पटल पर चस्पा की जाएगी। विद्यार्थी नियमित रूप से अवलोकन करें एवं प्रवेश की अंतिम तिथि का विशेष ध्यान रखें।
6. आवेदन की समस्त पुर्तियों की जाना अनिवार्य है। अपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।
7. परीक्षा परिणाम अपोषित होने की स्थिति में भी प्रावधानिक प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।
8. निर्धारित तिथि के बाद प्रवेश किसी भी दशा में संभव नहीं होगा। जारी प्रमाण-पत्रों के आधार पर/गलत जानकारी देने पर जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों/प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा।
9. प्रवेश लेकर बिना किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना कक्षा में लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा।
10. प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा। तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश हो जाने पर विद्यार्थी को मात्र रुपये 100/- प्रक्रिया शुल्क काटकर जमा की गई सम्पूर्ण शुल्क की राशि वापिस की जायेगी। प्रावधिक प्रवेश प्राप्त विद्यार्थी अनुत्तीर्ण घोषित होने पर रुपये 100/- प्रक्रिया शुल्क काटकर शेष राशि वापिस कर दी जायेगी।
11. कक्षा में मोबाईल फोन का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। प्रयोग करने पर मोबाईल फोन जब्त कर लिया जायेगा और आर्थिक दण्ड (जुर्माना) के लिये प्राचार्य अधिकृत है। इसकी पुनरावृत्ति होने पर दण्ड राशि उत्तरोत्तर बढ़ा दी जायेगी और मोबाईल फोन जब्त कर लिया जायेगा।
12. कक्षाओं में विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है।
13. महाविद्यालय में रैगिंग पूर्णतः प्रतिबंधित है। विद्यार्थी को स्वयं एवं विद्यार्थी के अभिभावक को अपने पाल्य के रैगिंग की गतिविधियों में शामिल नहीं होने का वचन पत्र देना अनिवार्य होगा।
14. रैगिंग में लिप्त विद्यार्थी के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही, महाविद्यालय और छात्रावास से निष्कासन, छात्रवृत्ति तथा अन्य

प्रदत्त लाभ वापस लेने की कार्यवाही के अलावा अर्बदण्ड और सार्वजनिक क्षमायाचना का भी प्रावधान रहेगा।

15. महाविद्यालय परिसर में तंबाकू, गुटका, धूम्रपान, मद्यपान आदि का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है।

(25) स्थानांतरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के नियम :-

येगा स्थानांतरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को संबंधित विभागों से अदेय प्रमाण-पत्र (नो-इन्वुल्व) लेना होगा। टी.सी. के लिये निर्धारित शुल्क जमा करने होंगे। आवेदन पत्र के साथ शुल्क की रसीद व अदेय प्रमाणपत्र संलग्न कर कार्यालय में जमा करना होगा।

(26) विद्यार्थियों के लिए सुविधाएँ

(1) शिक्षक अभिभावक योजना

महाविद्यालय में टीचर गार्जियन स्कीम के अंतर्गत प्रति कक्षा के लिए एक शिक्षक अभिभावक (Proctor) मनोनीत किया जाता है। विद्यार्थी अपनी समस्याओं के लिए तथा मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए उनसे सम्पर्क कर सकते हैं। ये प्राक्तर ही छात्र की उपस्थिति संबंधी समस्या जानकारी समेकित रूप में रखते हैं। छात्र अपने प्राक्तर से सम्पर्क रखें।

(2) खेलकूद

महाविद्यालय में अनेक खेलों की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। छात्र-छात्राओं से अपेक्षा है कि वे महाविद्यालय की खेलकूद गतिविधियों में भाग लें। उनके नियमित अभ्यास करने पर ही अन्तरमहाविद्यालयीन एवं अन्य प्रतिस्पर्धा में भाग लेने हेतु चयन किया जाता है। खेलों के अभ्यास प्रारंभ होने की तिथि के लिए सूचना फल देखें एवं क्रीडा अधिकारी से सतत सम्पर्क बनाए रखें।

(3) एन.एस.एस./एन.सी.सी.

बी.एस.-सी., II सेमेस्टर अथवा III, IV सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए उपर्युक्त में से किसी एक गतिविधि से सम्बद्ध होना अनिवार्य है तथा उसमें न्यूनतम उपस्थिति 75% होना चाहिए।

(अ) एन.एस.एस. (राष्ट्रीय सेवा योजना)

महाविद्यालय में एन.एस.एस. की एक छात्र इकाई एवं एक छात्रा इकाई कार्यरत है। प्रत्येक इकाई में सी स्वयं सेवकों की भर्ती का प्रावधान है। इसके अन्तर्गत नागरिक सुरक्षा, नदी बस्तियों, ग्रामों में श्रमदान द्वारा निर्माण कार्य, प्रौढ़ शिक्षा, सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध संचर्च, रोगियों की सेवा, रक्तदान, प्राथमिक उपचार, वृक्षारोपण आदि समाज सेवा के कार्य किये जाते हैं। दो वर्षों में 240 घंटे कार्य करते पर

विश्वविद्यालय से प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। दीर्घावकाश में एक समाज सेवा शिविर में भाग लेना होता है। डॉ. चित्तरंजन शर्मा (गणित विभाग) एवं कु.लक्ष्मी तन्तुवाय (रसायन विभाग) रसेयो अधिकारी हैं।

(ब) एन.सी.सी. (राष्ट्रीय छात्र सेना)

इसके अन्तर्गत निम्न इकाईयाँ कार्यरत हैं-

विंग	स्थान	अधिकारी
एन.सी.सी. गर्ल्स विंग 53		मेजर (श्रीमती) प्रीति चतुर्वेदी
आर्मड	65	केप्टन डॉ. संजय व्यास
एयर विंग	220	(पूरे शहर के लिए)

(4) पी.एम.टी. एवं पी.ई.टी. प्रशिक्षण

महाविद्यालय एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में P.M.T., P.E.T. तथा कृषि महाविद्यालयों में प्रवेश के लिये पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है।

(5) पुस्तकालय

संदर्भ ग्रंथों की सुविधा के साथ महाविद्यालय के पुस्तकालय में 80 हजार से अधिक पुस्तकें हैं। पुस्तकालय का भव्य सुविधापूर्ण नवनिर्मित भवन है। (देखें कवर-4) पुस्तकालय निम्न भागों में विभाजित है :-

मुख्य सामान्य पुस्तक कक्ष : इसमें विभिन्न विषयों पर हजारों पुस्तकें विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के अध्ययन हेतु उपलब्ध हैं।

स्नातकोत्तर विभागीय पुस्तकालय : यह स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए केन्द्रीय पुस्तकालय में संचालित किया जाता है।

अध्ययन कक्ष : यह कक्ष उन सभी परिश्रमी विद्यार्थियों के लिए है जो महाविद्यालय परिसर में ही अध्ययन करना चाहते हैं। यहाँ पाठ्यपुस्तकें एवं संदर्भ ग्रंथ अध्ययन हेतु उपलब्ध हैं।

पुस्तक कोष (बुक बैंक) : यू.जी.सी. एवं शासन के सहयोग से निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए बुक बैंक की सुविधा उपलब्ध है। इसमें विद्यार्थियों को पूरे सत्र के लिए पुस्तकें दी जाती हैं।

वाचनालय कक्ष : इसमें देश-विदेश की उत्तम पत्रिकाएँ एवं समाचार पढ़ने के लिए उपलब्ध रहते हैं।

पुस्तकालय में संदर्भ हेतु तथा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए पुस्तकें उपलब्ध हैं।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं स्टेशनरी प्रदाय की जाती है।

(6) बैंक तथा औषधालय

छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों की सुविधा के लिए महाविद्यालय परिसर में स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर की शाखा एवं शासकीय औषधालय की सुविधा भी उपलब्ध है।



रैगिंग : मान. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.10.06 संदर्भ एस.एल.पी. 2495/06 केरल विश्वविद्यालय विरुद्ध महाविद्यालय प्राचार्यों की परिषद तथा एस.एल.पी. क्र. 24296-24299/2004, डबल्यू.पी. (सी.आर.सी) नं. 173/206 तथा एस.एल.पी. क्र. 14356/2005 के अनुसार रैगिंग एक दण्डनीय अपराध है। महाविद्यालय या छात्रावास परिसर में या अन्यत्र कहीं भी रैगिंग लेना पूरी तरह प्रतिबंधित है। रैगिंग के लिये दोषी विद्यार्थी को महाविद्यालय से निष्कासित किया जाकर उसके विरुद्ध कठोर निषेधात्मक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। वरिष्ठ विद्यार्थी इसका ध्यान रखें।

दण्ड : मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अधीन बनाये गये अध्यादेश क्र. 7 की धारा 13 के अनुसार महाविद्यालय परिसर या बाहर अनुशासन भंग किये जाने पर दोषी विद्यार्थी के विरुद्ध निम्नानुसार दण्ड का प्रावधान है :-

1. कक्षाओं से निलम्बना
2. महाविद्यालय से निष्कासन।
3. वि.वि./स्वायत्तरी परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकना।

(28) इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त वि.वि. (IGNOU) नई दिल्ली के संबंध में जानकारी

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (जिसका संक्षिप्त नाम इग्नू) देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा मुक्त विश्वविद्यालय है जिसकी शाखाएँ देश के साथ-साथ विदेशों में भी हैं। ऐसी विश्व व्यापी संस्था का अध्ययन केन्द्र होलकर विज्ञान महाविद्यालय में होना गौरव की बात है। वर्तमान में इग्नू द्वारा अनेकों रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। इग्नू द्वारा तैयार अध्ययन सामग्री अतिविशिष्ट है जिसे अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार किया जाता है। इग्नू का अपना चैनल 'ज्ञानदर्शन' एवं आकाशवाणी 'ज्ञानवाणी' संचालित है जिनके माध्यम से कई उपयोगी कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। महाविद्यालय में Edu. Sate के माध्यम से वीडियो कांफ्रेंसिंग एवं ऑन लाइन टीविकी की सुविधा इग्नू के विद्यार्थियों हेतु उपलब्ध है।

इग्नू में प्रवेश के लिए एक आवेदन फार्म अध्ययन केन्द्र से प्राप्त कर, प्रवेश आवश्यक दस्तावेजों सहित क्षेत्रीय निदेशक, कार्यालय तीसरी मंजिल, सी.बी. कॉम्प्लेक्स, शिवाजी नगर, भोपाल भेजना होता है। प्रवेश हो जाने पर अध्ययन सामग्री सीधे नई दिल्ली कार्यालय से डाक द्वारा सम्बन्धित को भेज दी जाती है। शिक्षार्थी को उक्त सामग्री का

अध्ययन करना होता है और काउन्सिलिंग के लिए अध्ययन केन्द्र से सम्पर्क करना होता है। अध्ययन केन्द्र द्वारा काउन्सिलिंग की जानकारी प्रत्येक शिक्षार्थी को दी जाती है जो सामान्यतः प्रत्येक रविवार को आयोजित होते हैं। इग्नू द्वारा सामान्यतः चार प्रकार के पाठ्यक्रम संचालित हैं एक तो प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम जो छः माह के होते हैं उनमें सत्रिय कार्य करने आवश्यक नहीं है। दूसरे पाठ्यक्रम एकवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम, तीसरे स्नातक एवं स्नातकोत्तर एवं चौथे Ph.D. पाठ्यक्रम होते हैं सभी में सत्रिय कार्य भी करने होते हैं एवं आवश्यक होने पर परियोजना कार्य भी करना पड़ता है।

इग्नू में परीक्षा दो सत्रों में होती है। एक जून में व दूसरे दिसम्बर में। प्रत्येक शिक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए परीक्षा आवेदन फार्म भरना होता है। परीक्षा आवेदन इग्नू की वेबसाईट www.ignou.ac.in पर आन लाईन भी भर सकते हैं। एक वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए परीक्षा एक वर्ष पूर्ण होने पर ही दे सकते हैं। परीक्षा हेतु प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए रु. 60=00 शुल्क देना होगा।

इग्नू में सत्र एक जुलाई या एक जनवरी से प्रारम्भ होते हैं। कुछ पाठ्यक्रम जैसे बी.ए., बी.काम, बी.एस-सी. एवं सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आदि एक जुलाई से तथा सभी पीजी डिप्लोमा एक जनवरी से प्रारम्भ होते हैं। छमाही प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम एवं बीपीपी दोनों सत्रों (जुलाई एवं जनवरी) में प्रारंभ होते हैं।

इग्नू के सभी पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ए.आई.सी.टी.ई. से मान्य है। इग्नू द्वारा एक ऐसा पाठ्यक्रम बीपीपी संचालित है जो कि छः माह का है एवं कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र प्राप्त करने के पश्चात् कर सकता है। भले ही उसकी पूर्व में शैक्षणिक योग्यता कुछ भी न रही हो। इस पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के पश्चात् इग्नू द्वारा संचालित बी.ए., बी.कॉम., एवं कुछ अन्य चुनिन्दा पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं एवं उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

इग्नू में प्रत्येक छात्र अपने नियमित अध्ययन के साथ तथा कोई भी कार्यरत कर्मचारी इग्नू के एक या एक से अधिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं। इग्नू में उम्र का बंधन नहीं है। इग्नू प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए नाममात्र का शुल्क प्राप्त करता है जो अन्य संस्थानों की तुलना में न्यूनतम है।

म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल के प्रमुख सचिव द्वारा म.प्र. के समस्त विश्वविद्यालय के कुलसचिवों तथा प्रदेश के समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों को एक पत्र लिखकर अग्रह किया गया है कि प्रत्येक छात्र/छात्रा इग्नू के रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों (उनकी रुचि के अनुसार) में पंजीकृत हो।

इग्नू द्वारा महाविद्यालयों में नवनिर्भुक्त शिक्षकों के लिए P.G.D.H.E. (Post Graduate Diploma in Higher Education) उपलब्ध है। यू.जी.सी. ने इसे दो उन्मुखीकरण पाठ्यक्रमों के

समवृत्त्य माना है। कार्यक्रम दूरवर्ती पद्धति से होगा जिसमें दस दिन का संपर्क कार्यक्रम अनिवार्य होगा। महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को पर्यावरण शिक्षा में प्रमाण-पत्र कार्यक्रम (सीईएस) एवं प्रयोगशाला तकनीकियों के लिए प्रमाण-पत्र कार्यक्रम (सीपीएलटी) में प्रवेश लेना आवश्यक किया गया है और इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने पर आवश्यक शुल्क का भुगतान संबंधित महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति द्वारा किया जायेगा। इन्सू से दूधभाष क्रमांक 2476071 पर गुरुवार, शुक्रवार एवं शनिवार को सायं 5.30 से 7.30 के मध्य तथा रविवार को मध्याह्न 11.00 से 3.00 बजे के मध्य संपर्क किया जा सकता है। महाविद्यालय का अध्ययन केन्द्र क्रमांक 1506 तथा भोपाल क्षेत्रीय केन्द्र का क्रमांक 15 है।

इन्सू द्वारा वर्तमान में लगभग 148 पाठ्यक्रम संचालित हैं जिनमें से अधिकांश कोर्स शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर अध्ययन केन्द्र से किये जा सकते हैं।

(29) छात्रावास संबंधी नियम

- महाविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन के साथ ही छात्रावास में प्रवेश के आवेदन निर्धारित प्रपत्र में तीन प्रतियों में प्रस्तुत करना चाहिए। आवेदन पत्र महाविद्यालय के छात्रावास कार्यालय से प्राप्त होंगे।
- विद्यार्थी को प्रवेश उसके प्राचीण्य सूची एवं उत्तम चरित्र प्रमाण पत्र के आधार पर महाविद्यालय में प्रवेश मिलने के पश्चात केवल एक सत्र के लिये ही दिया जायेगा। इस हेतु माता या पिता को साथ लाना अनिवार्य होगा। अनुत्तीर्ण एवं पूरक द्वारा उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
- छात्रावास के लिए चयन होने पर प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के गणक (केशियर) के पास पूरे वर्ष के लिए निम्न शुल्क जमा करना होगा चाहे प्रवेश तिथि कोई भी हो -

छात्रावास शुल्क

क्र.	मद	B.Sc.	M.Sc.
1.	कौशनमनी	750/-	750/-
2.	आवास (शास.) (प्रति सेमेस्टर)	300/-	350/-
3.	स्वास्थ्य सुविधा	50/-	50/-
4.	खरखाव निधि	600/-	600/-
5.	छात्रावास कल्याण निधि	500/-	500/-
6.	अग्रिम जल एवं विद्युत व्यय (प्रति सेमेस्टर)	1500/-	1500/-
महाविद्यालय के कार्यालय में जमा की जाने वाली राशि		3700/-	3750/-

7. छात्रावास दिवस शुल्क	250/-
8. दूरदर्शन, दूधभाष, केबल, समाचार पत्र	450/-
9. मेस सेक्युरिटी (सत्र के अंत में वापसी योग्य)	3350/-
10. होटलर्स सुरक्षा	600/-
स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर बैंक में खाता क्रमांक	
53015567550 में जमा की जाने वाली राशि	
	4650 /-

छात्रावास की आचरण संहिता

- छात्रावास में प्रवेश केवल इसी महाविद्यालय के नियमित एवं अधिकृत छात्रों को छात्रावास प्रवेश के लिए गठित समिति द्वारा दिया जाएगा।
- छात्रावास के कमरे में रिश्तेदार, मित्र अथवा अन्य परिचितों को ठहरने या अकाण आने की अनुमति कदापि नहीं दी जायेगी। विशेषकर रात्रि 9 बजे के पश्चात् कमरे में कोई बाहरी व्यक्ति पाया गया तो संबंधित को तत्काल छात्रावास से निष्कासित कर दिया जाएगा।
- प्रांगण एवं अन्य स्थानों पर पूर्ण अनुशासन बनाए रखना होगा। छात्रों एवं कर्मचारी के साथ शिष्ट एवं सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना होगा। रैमिंग में संलग्न तथा अनुशासनहीन विद्यार्थियों को छात्रावास एवं महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जाएगा एवं उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। किसी भी प्रकार की अवांछनीय घटना की सूचना छात्रावास अधीक्षक अथवा वार्डन को तुरंत दी जानी चाहिए।
- समस्त शुल्क व मेस चार्ज निश्चित समयावधि में जमा करवाना अनिवार्य है। इसका पालन न करने पर उन्हें छात्रावास से निष्कासित कर दिया जाएगा तथा मेस की राशि दण्डसहित वसूली जायेगी। मेस चार्ज समय से न भरने पर प्रतिमाह अतिरिक्त रुपये 50/- दण्ड देना होगा। प्रत्येक माह का मेस चार्ज 100% जमा करने पर ही दण्ड नहीं लगेगा।
- पालकों को समय-समय पर अधीक्षक/वार्डन से सम्पर्क करना चाहिए। उनसे अनुरोध है कि, अपने पाल्य को प्रतिमाह भेजी जाने वाली राशि से वार्डन को या डीन को अवगत करायें, जिससे वे राशि का दुरुपयोग न कर सकें।
- क्लब मेस सभी के लिए अनिवार्य है जिसका शुल्क प्रवेश के समय 4650 रुपये स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर की होलकर साईंस कॉलेज शाखा के खाता क्रमांक 53015567550 में जमा कर रसीद प्रवेश आवेदन पत्र के साथ देनी होगी। मेस बिल की राशि प्रतिमाह इसी खाते में जमा करना होगी। छात्रावास के अन्य शुल्क महाविद्यालय में ही जमा कराना होंगे।

- प्राचार्य की अनुमति के बिना दृश्य या कोचिंग कक्षाओं में जाना प्रतिबंधित है।
- अधीक्षक, वार्डन की पूर्वानुमति के बिना कोई भी छात्रावास में अनुपस्थित नहीं रहेगा।
- प्रदत्त वस्तुएँ, पुस्तकें, फर्नीचर, विद्युत सामग्री आदि सुरक्षित रखना होंगे। गुमने, टूट-फूट होने पर उसकी कीमत जमा करानी होगी।
- अस्वस्थ होने की दशा में इसकी सूचना अधीक्षक/वार्डन को तुरंत दी जाए।
- रात्रि 9 बजे से प्रातः 6 बजे तक कमरे में रहना होगा।
- धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों (नशीले पदार्थ) का सेवन सर्वथा निषिद्ध है।
- छात्रावास छोड़ने के पूर्व, अधीक्षक की अनुमति प्राप्त करें। बकाया शुल्क एवं प्रदत्त वस्तुएँ, अनिवार्य रूप से वापस जमा करें तथा No Dues प्राप्त कर लें। मैस सर्विस चार्ज किसी भी अवस्था में वापस नहीं किया जायेगा। इसका उपयोग मैस कर्मचारियों को वेतन देने में किया जाता है।
- प्रतिमाह 75% उपस्थिति प्रत्येक विषय में अनिवार्य है। कम उपस्थिति होने पर उन्हें छात्रावास से निष्कासित कर दिया जायेगा।
- छात्रावास में सत्र के मध्य प्रवेश नहीं दिया जायेगा। प्रवेश के समय पूरी फीस देना होगी।
- एक वर्ष होस्टल में प्रवेश के बाद अगले वर्ष प्रवेश मिलना आवश्यक नहीं है।
- छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है कि वे रेडियो एवं दूरदर्शन धीमी आवाज में चलाएँ।
- दूरभाष का दुरुपयोग न करें।
- वार्षिक परीक्षा के उपरान्त तीन दिन में छात्रावास खाली करना होगा। अन्यथा 100 (सौ रुपये) प्रति दिवस की दर से शुल्क देय होगा।
- जल व विद्युत का दुरुपयोग न करें अन्यथा दंडित किया जायेगा। उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करने पर तुरंत निष्कासित कर दिया जायेगा। किसी भी प्रकार की अशुविधा होने पर अधीक्षक या वार्डन से तुरंत सम्पर्क कर सकते हैं। वे छात्रों की आवास अवधि निरापद, आदर्श एवं सुखमय बनाने में उनकी सहायता एवं सहयोग करेंगे। छात्र का सहयोग भी अपेक्षित है।
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार महाविद्यालय एवं छात्रावास में रैगिंग पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि छात्रावासी रैगिंग की गतिविधि में संलग्न पाया जाता है तो उसे

छात्रावास से तुरंत निष्कासित कर दिया जायेगा तथा कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

(30) महाविद्यालयीन शुल्क

- महाविद्यालय में प्रविष्ट छात्र को प्रवेश के समय पूरे सत्र का शिक्षण शुल्क स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर की होलकर साईंस कॉलेज स्थित शाखा में चालान द्वारा जमा करना होगा।
- प्रत्येक विद्यार्थी से अपेक्षा है कि वह शुल्क भुगतान की रसीदें सम्भालकर रखें तथा आवश्यकता होने पर प्रस्तुत करें।
- किसी कारण पुनः प्रवेश की स्थिति में दंड के साथ पूरा शुल्क जमा कराना होगा।
- जिन विद्यार्थियों को शुल्क मुक्ति की पात्रता है, वे प्रवेश के समय वांछित प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ जमा करें।

शुल्क विवरण

होलकर विज्ञान महाविद्यालय में स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर आगे दी गई तालिका के अनुसार शुल्क लिया जायेगा।

ली जाने वाली शुल्कों में एल.एफ. एवं विविध शुल्क जैसे छात्र कल्याण कोष 30/-रु., विकलांग छात्र/छात्रा रु. 10/-, छात्र/छात्रा दुर्घटना रु. 10/-, खेलकूद रु. 150/-, छात्र/छात्रा नामांकन रु. 25/-, छात्र/छात्रा बीमा रु. 20/- एवं ए.एफ. रु. 100/- सम्मिलित है। विश्वविद्यालय नामांकन शुल्क 100/-रु. तथा विलम्ब शुल्क 200/-रु.।

शासकीय शुल्क के रूप में प्राप्त शिक्षण शुल्क, विज्ञान शुल्क को जनभागीदारी कोष में जमा किया जाता है। इस राशि में से 100 रु. सम्मिलित निधि के रूप में स्नेह सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि के लिए ए.एफ. समिति को आबंटित कर दिये जाते हैं। शेष राशि का उपयोग महाविद्यालय के संचालन में जैसे प्रवेश प्रक्रिया, परिचय पत्र, सायकल स्टैण्ड, आकस्मिक चिकित्सा, निर्धन कल्याण निधि, कॉमन रूम, वाचनालय, उपस्थिति सूचनार्थ डाक व्यवस्था, पाठ्यक्रम वितरण, छात्र गतिविधि, वार्षिक पत्रिका, खेलकूद, महिला प्रसाधन कक्ष (Ladies Room) सुविधा तथा परिसर विकास हेतु किया जाता है। इन मदों में राशि का आबंटन प्राध्यापकों की एक समिति करती है। शुल्क में 100 रु. जन भागीदारी समिति विकास राशि सम्मिलित है।

शुल्क भुगतान हेतु मार्गदर्शन

- सभी प्रकार के शुल्क स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर की महाविद्यालय परिसर में स्थित शाखा में चालान द्वारा प्राप्त किये जाते हैं। नगद भुगतान स्वीकृत नहीं किये जाते।

शुल्क मुक्ति

शुल्क मुक्ति का अर्थ केवल शिक्षण शुल्क से मुक्ति है। लड़कों का

शिक्षण शुल्क 120 रु. प्रतिवर्ष तथा लड़कियों का मात्र 4 रु. प्रतिवर्ष लगता है।

निम्नलिखित संवर्ग के छात्र/छात्राओं को शुल्क मुक्ति अथवा रियायत की पात्रता है-

1. पूर्ण शिक्षण शुल्क मुक्ति के पात्र-

1. सीमित संख्या में निर्धन एवं योग्य विद्यार्थियों के लिए अपनी मेधा, अध्ययन एवं विशुद्ध चरित्र का प्रमाण प्रस्तुत करने पर निर्धन कल्याण निधि से।
2. अ.जा./अ.ज.जा. / अ.पि.वर्ग के छात्र शिक्षण शुल्क से मुक्त रहेंगे। इस हेतु उन्हें रेवेन्यू अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी के समकक्ष अथवा उच्च पदाधिकारी) का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. भारतीय सेना के कर्मचारियों की संतान निम्नानुसार शिक्षण शुल्क से मुक्त रहेंगे-

(अ) बी.एस.-सी. में अध्ययनरत वे छात्र जो जे.सी.ओ. तथा भारतीय सेना की तीनों अगों में से किसी भी सेवारत कर्मचारी की संतान हो।

(ब) म.प्र. में निवासी ऐसे सेना के कर्मचारी जो देश के लिए प्राणोत्सर्ग कर चुके हो या स्थायी रूप से अपंग हो चुके हो, उनकी संतानों को शुल्क मुक्ति की सुविधा तब प्राप्त होगी, जब वे हायरसेकेंडरी परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करके महाविद्यालय में प्रवेश करते हैं। इस हेतु इंजीनियरिंग कोर के द्वारा अपने पिता की सेवा तथा श्रेणी का प्रमाणित रेकार्ड जिलाध्यक्ष को देकर प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4. शासकीय सेवारत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संतानों को बी.एस.-सी. कक्षा में अध्ययन हेतु महाविद्यालय के आवेदन पत्र के साथ छपे हुए प्रमाण-पत्र की सक्षम अधिकारी से अभिप्रमाणित करवाकर आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा। शुल्क जमा करते समय मुक्ति हेतु संबंधित प्रमाण पत्र की मूल प्रति लाना आवश्यक होगा।

महाविद्यालय के ऐसे गरीब विद्यार्थी जिनके परिवार की प्रतिवर्ष आय रु. 1,00,000/- से अधिक न हो एवं जिनके पिता दिवंगत हो उन्हें पूर्ण शुल्क मुक्ति प्रदान की जायेगी।

2. अर्द्ध शिक्षण शुल्क मुक्ति के पात्र-

1. निर्धन एवं योग्य छात्र/छात्रा।
2. उच्च तकनीकी शुल्क मुक्ति- उच्च तकनीकी विषयों में प्रतिभाशाली परन्तु आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए शुल्क मुक्ति की सुविधा निम्नानुसार है :-
प्रत्येक सेक्शन में 03 अर्द्धशुल्क मुक्ति उपलब्ध हैं। वह सुविधा 1,00,000 रुपये वार्षिक से कम आय वाले परिवार के छात्र/छात्राओं को ही उपलब्ध होगी। BPL कार्डधारी परिवार के छात्र/छात्राओं को 60 प्रतिशत अंक अर्जित करने पर अर्द्धशुल्क मुक्ति की पात्रता होगी। एतदर्थ संख्या का बंधन नहीं होगा।
कुल अर्द्धशुल्क मुक्ति प्राप्त छात्रों की संख्या सेक्शन की संख्या के आधार पर (प्रति सेक्शन 3 अर्द्धशुल्क मुक्ति) निर्धार्य करेगी व अन्तर परिवर्तनीय होगी।

नोट :- शिक्षण शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष से प्राप्त होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है।

कॉशन मनी

महाविद्यालय के विद्यार्थियों को निम्नानुसार कॉशनमनी जमा करनी होगी।

क्रं.	समूह	शुल्क
1.	स्नातक स्तर	500
2.	स्नातकोत्तर स्तर	1000
3.	ए.ए.फिल.	1500
4.	पी.एच.डी.	3000

नोट : समस्त विद्यार्थियों से प्रवेश के समय 100/- रु.

पुस्तकालय शुल्क लिया जायेगा।

गणित समूह :

प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में उपलब्ध विषय समूह

क्र.	समूह	सेक्शन	शुल्क
1.	भौतिकी, गणित, कम्प्यूटर	M1 & M2	6500
2.	भौतिकी, गणित, कम्प्यूटर (स्ववित्त)	M3, M4, M5	9500
3.	कम्प्यूटर, गणित, इलेक्ट्रॉनिक्स (स्ववित्त)	M6	9500
4.	भौतिकी, गणित, इलेक्ट्रॉनिक्स	M7	6500
5.	कम्प्यूटर, गणित, सांख्यिकी	M8	9500
6.	सांख्यिकी, गणित, भौतिकी	M9	3000
7.	भौतिकी, गणित, रसायन	M10	3000
8.	कम्प्यूटर, गणित, भू-गर्भ शास्त्र	M11	8000

गणित समूह :

तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में उपलब्ध विषय समूह

क्र.	समूह	सेक्शन	शुल्क
1.	भौतिकी, गणित, कम्प्यूटर	M1 & M2	5500
2.	भौतिकी, गणित, कम्प्यूटर (स्ववित्त)	M3, M4, M5	9500
3.	कम्प्यूटर, गणित, इलेक्ट्रॉनिक्स (स्ववित्त)	M6	9500
4.	भौतिकी, गणित, इलेक्ट्रॉनिक्स	M7	6500
5.	कम्प्यूटर, गणित, सांख्यिकी	M8	9500
6.	सांख्यिकी, गणित, भौतिकी	M11	3000
7.	भौतिकी, गणित, रसायन	M9	3000
8.	कम्प्यूटर, गणित, भू-गर्भ शास्त्र	M10	8000

जैविकी समूह :

प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में उपलब्ध विषय समूह

क्र.	समूह	सेक्शन	शुल्क
1.	कम्प्यूटर, रसायन, बायोटेक्नालॉजी	B1, B-2	15000
2.	रसायन, प्राणिकी, बायोटेक्नालॉजी	B-3 & B-4	11000
3.	रसायन, वनस्पति, बायोटेक्नालॉजी	B-5	11000
4.	कम्प्यूटर, प्राणिकी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स	B-6	15000
5.	रसायन, प्राणिकी, जीवरासायन	B-7	9500
6.	रसायन, प्राणिकी, माइक्रोबायोलॉजी	B-8	9500
7.	रसायन, वनस्पति, फार्मा. रसायन	B-9	9500
8.	रसायन, प्राणीशास्त्र, फार्मा. रसायन	B-9	9500
9.	भूगर्भ, प्राणिकी, रसायन	B-10a	3000
10.	रसायन, फिशरीज, प्राणिकी	B-10b	3000
11.	रसायन, वनस्पति, प्राणिकी	B-11	3000
12.	हार्टिकल्चर, वनस्पति, सॉइल टेक्नालॉजी	B-12	7500

जैविकी समूह :

तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में उपलब्ध विषय समूह

क्र.	समूह	सेक्शन	शुल्क
1.	कम्प्यूटर, रसायन, बायोटेक्नालॉजी	B1, B-2	15000
2.	रसायन, प्राणिकी, बायोटेक्नालॉजी	B-3 & B-4	11000
3.	रसायन, वनस्पति, बायोटेक्नालॉजी	B-5	11000
4.	कम्प्यूटर, प्राणिकी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स	B-6	15000
5.	रसायन, प्राणिकी, जीवरासायन	B-7	9500
6.	रसायन, प्राणिकी, माइक्रोबायोलॉजी	B-8	9500
7.	रसायन, वनस्पति, फार्मा. रसायन	B-9	9500
8.	रसायन, प्राणीशास्त्र, फार्मा. रसायन	B-9	9500
9.	भूगर्भ, प्राणिकी, रसायन	B-10a	2500
10.	रसायन, फिशरीज, प्राणिकी	B-10b	2500
11.	रसायन, वनस्पति, प्राणिकी	B-11	2500
12.	प्राणी शास्त्र, वनस्पति, सॉइल टेक्नालॉजी	B-12	5000

केन्द्रीय शासन की राष्ट्रीय छात्रवृत्तियाँ	अवधि	दर	पात्रता
01 (अ) स्नातक प्रथम दो सेमेस्टर तृतीय सेमेस्टर से षष्ठम सेमेस्टर (ब) स्नातकोत्तर	1 वर्ष 2 वर्ष	रु. 60/- प्रतिमाह रु. 90/- प्रतिमाह रु. 120/- प्रतिमाह	अर्हकारी परीक्षा में 60% प्राप्तांक या उससे अधिक होना तथा माता-पिता की आय अधिकतम रु. 60,000/- वार्षिक
02 प्राथमरी एवं हायर सेकेण्डरी शिक्षकों के बच्चों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति स्नातक		रु. 60/- प्रतिमाह	तदैव राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों की शर्त के अनुसार
03 राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति (अ) स्नातक (ब) स्नातकोत्तर		रु. 65/- प्रतिमाह रु. 85/- प्रतिमाह	अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों का प्रतिशत 60 या उससे अधिक होना तथा माता-पिता की आय अधिकतम रु. 60,000/- वार्षिक आय मूल पर मानी जाएगी। योग्यता (आय का प्रतिबंध नहीं)

राज्य शासन की एकीकृत छात्रवृत्तियाँ - (नियम एवं विस्तृत जानकारी हेतु छात्रवृत्ति, अधिकारी, उच्च शिक्षा, भोपाल से सम्पर्क करें)

04 (अ) शोध (ब) स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति (स) स्नातकोत्तर शिष्यवृत्ति (द) स्नातक छात्रवृत्तियाँ	2 वर्ष 2 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष	रु. 600/- प्रतिमाह रु. 250/- प्रतिमाह रु. 250/- प्रतिमाह रु. 150/- प्रतिमाह	शोध हेतु पंजीयन होना आवश्यक है। इस छात्रवृत्ति हेतु वे ही छात्र आवेदन करें जिन्हें स्नातकोत्तर परीक्षा में 55% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों। उपाधि परीक्षा में कम से कम 55% अंक आय रुपये 25,000/- वार्षिक (मेरिट कम मीम्स) से अधिक न हो उपाधि परीक्षा में कम से कम 45% अंक केवल योग्यता के आधार पर। इस छात्रवृत्ति हेतु वे ही छात्र आवेदन करें जिन्होंने हायर सेकेण्डरी परीक्षा में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों तथा जिनके माता-पिता की आय रु. 25,000/- वार्षिक से अधिक न हो।
05 महाविद्यालय के लिए खेलकूद छात्रवृत्तियाँ	1 वर्ष	रु. 150/- प्रतिमाह	योग्यता के आधार पर
06 रा. छा. सेना सैनियर छात्रवृत्तियाँ	1 वर्ष	रु. 150/- प्रतिमाह	योग्यता के आधार पर
07 मृत सैनिक के बच्चों की विशेष छात्रवृत्तियाँ	1 वर्ष	रु. 650-1000/-	मृत सैनिक मध्यप्रदेश का निवासी होना आवश्यक है।
08 निर्धन तथा योग्यता के आधार पर विशेष। छात्रवृत्ति एक मुश्त अनुदान			मृत सैनिक मध्यप्रदेश का निवासी होना आवश्यक है। पाठ्यक्रमानुसार निर्धनता एवं योग्यता के आधार पर अन्य छात्रवृत्ति की तरह।
09 डाकुओं द्वारा मारे गये व्यक्तियों की संतान स्नातक स्नातकोत्तर	1 वर्ष	रु. 500-700/- रु. 750-1000/-	साधन के आधार पर पीड़ित लोगों के बच्चों को विशेष छात्रवृत्ति कलेक्टर के प्रमाणिकरण पर।
10 विकलांग छात्रवृत्ति अवर स्नातक		रु. 125/- प्रतिमाह रु. 200/- प्रतिमाह रु. 135/- प्रतिमाह रु. 315/- प्रतिमाह रु. 170/- प्रतिमाह रु. 180/- प्रतिमाह	सामान्य विकलांग छात्र नेत्रहीन विकलांग छात्र सामान्य विकलांग छात्र नेत्रहीन विकलांग छात्र विकलांग छात्र विकलांग छात्र

उक्त छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन आदि कार्यालय संयुक्त संचालक - पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग, जिलाधीश कार्यालय, इन्दौर से सम्पर्क कर प्राप्त किये जा सकते हैं। राशियों तथा पात्रता की शर्तों में परिवर्तन होता रहता है।

- नोट :- (1) अ.जा./अ.ज.जा. पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्रा अपने मूल प्रमाण पत्रों के साथ ही आवेदन करें। इन वर्ग के विद्यार्थी प्रवेश के तत्काल बाद छात्रवृत्ति हेतु छात्रवृत्ति शाखा से जानकारी प्राप्त कर निश्चित तिथि तक आवश्यक रूप से आवेदन करें। स्थाई जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर ही तद्विषयक छात्रवृत्ति आवेदन स्वीकार किये जा सकेंगे। विद्यार्थी एक सत्र में एक ही प्रकार की छात्रवृत्ति ले सकेगा।
- (2) जिन विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही है वे उसका नवीनीकरण 30 जुलाई तक करावें।
- (3) अन्य सभी छात्रवृत्तियों तथा राष्ट्रीय कृषि छात्रवृत्ति के लिए दिनांक 20 से 30 अगस्त के बीच आवेदन पत्र प्राप्त कर आवेदन करें। विकलांग छात्र-छात्राओं के लिये देवी अहिल्या वि.वि. इन्दौर द्वारा पुस्तकें, ट्राइसिकल, विशेष प्रकार के जुते आदि के रूप में सहायता भी प्रदान की जाती है। उक्त सुविधा का लाभ प्राप्ति हेतु इच्छुक जानकारी महाविद्यालय की छात्रवृत्ति शाखा से प्राप्त कर सकते हैं।

शोध छात्रवृत्ति : इस महाविद्यालय से एम.एस.-सी. करने के उपरान्त इसी महाविद्यालय के शिक्षक के निर्देशन में पंजीयत होकर दे.अ.वि.वि. इन्दौर से पी-एच.डी. करने वाले शोधार्थी हेतु 8000/- रु. प्रतिमाह की शोध छात्रवृत्ति अधिकतम 2 वर्ष के लिए उपलब्ध है।

राज्य शासन की छात्र/छात्राओं हेतु उच्च शिक्षा हेतु विशेष योजनाएँ -

- गाँव की बेटी - 3 वर्ष, 500/- प्रतिमाह (छात्राओं हेतु)**
छात्रा गाँव की निवासी होना चाहिए तथा गाँव में रहकर गाँव की पाठशाला से 12वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होनी चाहिए। छात्रा ने जिस सत्र में 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है उसके तत्काल बाद के सत्र में उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेना होगा। इस छात्रवृत्ति हेतु स्नातक प्रथम वर्ष की छात्राएँ ही आवेदन कर सकती हैं।
- प्रतिभा किरण - 3 वर्ष, 300/- प्रतिमाह (छात्राओं हेतु)**
छात्रा को नगरीय क्षेत्र में स्थित विद्यालय से हायर सेकण्डरी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होनी चाहिए। छात्रा को गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका द्वारा प्रदाय प्रमाण पत्र (BPL Card) अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
- विक्रमादित्य योजना -**
निर्धन सामान्य वर्ग के ऐसे छात्र/छात्राओं को शिक्षण शुल्क से मुक्ति शासन के नियमानुसार की पात्रता होगी जिन्होंने 12वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है तथा महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया हो।
- पी.एच.डी. शोधार्थियों को सहायता -**
अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को नियमानुसार छात्रवृत्ति दी जाती है।
- छात्राओं हेतु आवागमन सुविधा -**
महाविद्यालय से 05 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर निवास करने वाली छात्राओं को अधिकतम दो सौ शैक्षणिक दिवस के लिये आवागमन हेतु रुपये 5/- प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जाता है।
- विकलांग शोध छात्रवृत्ति -**
नियमानुसार प्रोत्साहन पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है।
- विवेकानंद कैरियर एवं रोजगार मार्गदर्शन प्रकोष्ठ -**

इस प्रकोष्ठ के द्वारा विद्यार्थियों को प्रतिवर्गी परीक्षाओं की जानकारी, युवा अद्ययियों के आवश्क मार्गदर्शक तथा रोजगार हेतु प्रशिक्षण आदि की जानकारी प्रदान की जाती है।

- बुक बैंक योजना -**
महाविद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को बुक योजनान्तर्गत पाठ्य पुस्तकें एवं स्टेशनरी नि:शुल्क प्रदाय की जाती है।
- सिटीजन चार्टर एवं सूचना का अधिकार -**
शासन के निर्देशानुसार, प्रशासन में पारदर्शिता व्यक्त करने के उद्देश्य से महाविद्यालय में लगे बड़े-बड़े बोर्डों पर जानकारी अंकित कर दी गई है।

विशेष छात्रवृत्ति एवं पुरस्कार -

- सिद्धेश्वरलाल छात्रवृत्ति (देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर द्वारा देय) -** बी.एस.-सी. के तीन वर्षों में छात्रों को मेरिट कम मीन्स के आधार पर प्रदान की जाती है। आवेदन पत्र विश्वविद्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।
- भाटी छात्रवृत्ति -** महाविद्यालय के पूर्व छात्र एवं इंग्लैंड में बसे स्व. आशाराम भाटी द्वारा प्रदत्त राशि के ब्याज से जरूरत मंद एवं योग्य स्नातकोत्तर कक्षा के विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति दी जाती है (स्नातकोत्तर कक्षा के विद्यार्थी उपलब्ध न होने पर स्नातक स्तर के विद्यार्थियों को भी यह छात्रवृत्ति दी जा सकती है।
- देशपांडे पुरस्कार -** महाविद्यालय के गौरव, रसायनशास्त्र के प्राध्यापक एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक डॉ. शंकर श्रीधर देशपांडे द्वारा प्रदत्त 10,000/- रु. के राष्ट्रीय बचत पत्रों से प्राप्त ब्याज की राशि को समान रूप से निम्न दो पुरस्कारों में वितरित किया जायेगा -
 - महाविद्यालय के एम.एस.-सी. रसायन शास्त्र विषय के पूर्वाह्न एवं उत्तराह्न में सैद्धांतिक अंकों के योग में सर्वोच्च अंक प्राप्त विद्यार्थी को।
 - महाविद्यालय की बी.एस.-सी. के तीन वर्षों में रसायन शास्त्र विषय के सैद्धांतिक अंकों के योग में सर्वोच्च अंक प्राप्त विद्यार्थी को।
- स्व. प्रो. शंकर केशव अय्यंगर पुरस्कार -** मध्यप्रदेश के गणित के विख्यात प्राध्यापक की स्मृति में प्रत्येक वर्ष इस महाविद्यालय की केवल

शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर



स्थापना वर्ष 1981

बी.एस.-सी. अंतिम वर्ष की परीक्षा में गणित में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को यह पुरस्कार दिया जाता है।

5. **स्व. श्रीमती सुदेश छाबड़ा स्मृति पुरस्कार** - यह पुरस्कार रसायन शास्त्र की प्राध्यापिका स्व. श्रीमती सुदेश छाबड़ा की स्मृति में दिया जाता है। इसके अंतर्गत जमा निधि से प्राप्त ब्याज से बी.एस.-सी. अंतिम वर्ष तथा एम.एस.-सी. उत्तरार्द्ध रसायन शास्त्र में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाता है।

6. **श्री बटेश्वर दयाल सिंघल पुरस्कार** - यह पुरस्कार महाविद्यालय के पूर्व छात्र पद्यश्री डॉ. एस.डी. सिंघल द्वारा अपने पिता तथा इसी महाविद्यालय के पूर्व छात्र स्व. श्री बटेश्वर दयाल सिंघल की स्मृति में स्थापित किया गया है। इसके अंतर्गत जमा करायी गयी निधि से प्राप्त ब्याज राशि निम्न में समान रूप से वितरित की जायेगी-

- (1) जिस विद्यार्थी ने बी.एस.-सी. अंतिम वर्ष की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर इसी महाविद्यालय के एम.एस.-सी. पूर्वार्द्ध गणित में प्रवेश लिया हो।
- (2) एम.एस.-सी. पूर्वार्द्ध गणित तथा भौतिकी प्रत्येक में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर इसी महाविद्यालय की उत्तरार्द्ध कक्षाओं में प्रवेश लिया हो।
- (3) स्नातक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ आल राउण्डर विद्यार्थी को जिसने 60% से अधिक अंक अर्जित किये हों साथ ही खेलकूद, साहित्य या सांस्कृतिक विधा में निपुणता अर्जित की हो।

7. **स्व. प्रो. पी. गंगराडे स्मृति पुरस्कार** - इसके अंतर्गत गंगराडे परिवार द्वारा महाविद्यालय के गणित के पूर्व प्राध्यापक स्व. श्री पी.सी. गंगराडे की स्मृति में जमा करायी गयी निधि से ब्याज राशि का पुरस्कार एम.एस.-सी. उत्तरार्द्ध गणित में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को दिया जाता है।

8. **श्रीमती सुशील दुबे पुरस्कार** - होलकर विज्ञान महाविद्यालय की बी.एस.-सी. परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले उस विद्यार्थी को दिया जाएगा तो एम.एस.-सी. पूर्वार्द्ध रसायन में प्रवेश प्राप्त करेगा। यह पुरस्कार इस महाविद्यालय के पूर्व छात्र प्राध्यापक तथा राजस्थान शासन में प्राचार्य के पद पर रह चुके डॉ. एम.एस. दुबे द्वारा प्रदत्त रुपये 2000=00 के ब्याज की राशि से प्रदान किया जायेगा।

9. **प्रो. ओ.पी. दुबे पुरस्कार** - इस महाविद्यालय में वनस्पति शास्त्र के प्राध्यापक स्व. प्रो. ओ.पी. दुबे की स्मृति में उनके परिवार की ओर से जमा करायी गयी राशि से प्राप्त ब्याज से होलकर विज्ञान महाविद्यालय से एम.एस.-सी. पूर्वार्द्ध वनस्पति की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को प्रदान किया जाता है।

10. **डॉ. बी.आर. जैन पुरस्कार** - पूर्व प्राचार्य डॉ. आर.एन. जैन ने अपने पिता स्व. बी.आर. जैन की स्मृति में रुपये 10,000/- के ब्याज की राशि से निम्न दो पुरस्कार प्रारंभ किये हैं :-

- (1) एम.एस.-सी. उत्तरार्द्ध भौतिकी, रसायन, गणित समूह में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को।
- (2) बी.एस.-सी. अंतिम वर्ष गणित, भौतिकी, रसायन समूह में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को।

11. **स्व. प्रो. गोले स्मृति पुरस्कार** - यह पुरस्कार एम.एस.-सी. गणित में सर्वोच्च अंक प्राप्त विद्यार्थी को दिया जाता है। प्रो. विश्वनाथ गोपाल गोले इसी महाविद्यालय के विद्यार्थी एवं गणित के पूर्व प्राध्यापक थे। पुरस्कार की राशि उनके परिवार द्वारा जमा करायी गयी निधि के ब्याज से देय होगी।

12. **सारवान स्मृति पुरस्कार** -

(अ) स्व. श्रीमती सीताबाई (महाविद्यालय के सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) पति मंगलुलाल सारवान की स्मृति में उनके पुत्र श्री प्रकाशचन्द्र सारवान प्रदत्त रु. 5001/- राशि के ब्याज से एक शिक्षा प्रोत्साहन बी.एस.-सी. के प्रथम दो सेमे. में (अ.जा./अ.ब.जा.) सर्वोच्च अंक प्राप्त विद्यार्थी को दिया जाएगा।

(ब) स्व. मंगलुलाल सारवान (महाविद्यालय के सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) की स्मृति में उनके पुत्र श्री प्रकाशचन्द्र सारवान द्वारा प्रदत्त 5001/- राशि से प्राप्त ब्याज से एक विद्यार्थी प्रतिभा पुरस्कार अ.जा./अ.ब.जा. के उस विद्यार्थी को प्रदान किया जाएगा, जिसने बी.एस.-सी. के सभी 6 सेमे. की परीक्षा के योग में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हों।

13. **स्व. प्रो. डेनियल राबर्ट स्मृति पुरस्कार** - रसायन शास्त्र के प्राध्यापक स्व. डेनियल राबर्ट की स्मृति में उनकी माताजी श्रीमती लीलावती राबर्ट द्वारा प्रदत्त रु. 20,000/- की राशि से प्राप्त ब्याज निम्नांकित पुरस्कारों के रूप में वितरित किया जाएगा।

(अ) ब्याज की एक चौथाई राशि बी.एस.-सी. परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर प्राचीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को।

(ब) शेष बची राशि में से आधा एम.एस.-सी. रसायन शास्त्र की सभी शाखाओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को।

(स) शेष राशि सभी विषयों की एम.एस.-सी. परीक्षा की संयुक्त प्राचीण्य सूची में प्रथम स्थान विद्यार्थी को।

14. **श्री श्रीधर गोविन्द घाटे पुरस्कार** - महाविद्यालय के मेधावी छात्र श्री श्रीधर गोविन्द घाटे के नाम पर पुरस्कार प्रार्थन करने हेतु उनके पुत्र श्री श्याम घाटे ने रु. 5000/- रुपये की राशि प्रदान की है। इस राशि के ब्याज से बी.एस.-सी. तीनों वर्षों की परीक्षा में रसायन शास्त्र विषय में सर्वाधिक सम्मिलित योग अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को पुरस्कृत किया जायेगा।

15. **संत लीला पब्लिक चेरिटेबल ट्रस्ट, इन्दौर का पुरस्कार** - ट्रस्ट की ओर से रुपये 5000/- के ब्याज से आधी-आधी राशि से क्रमशः बी.एस.-सी. जैविकी तथा गणित समूहों में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जायेगा।

16. **डॉ. एस.एस. देशपांडे स्मृति समिति पुरस्कार** - समिति द्वारा जमा कराये रुपये 6,150/- के ब्याज से आधी-आधी राशि से क्रमशः बी.एस.-सी. जैविकी तथा गणित समूहों में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जायेगा।

17. **डॉ. एस.एस. देशपांडे स्मृति समिति पुरस्कार** - (समिति द्वारा जमा रुपये 6,150/- की राशि से प्राप्त ब्याज देय) -

(अ) बी.एस.-सी. में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले तथा आगे पढ़ाई जारी रखने वाले विद्यार्थी को पुरस्कार दिया जायेगा।

(ब) एम.एस.-सी. (रसायन शास्त्र) में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को पुरस्कार दिया जायेगा।

18. स्व. डॉ. के. आर. निकम स्मृति पुरस्कार- स्व. डॉ. के. आर. निकम इस महाविद्यालय में रसायन शास्त्र के प्राध्यापक थे। उनकी पत्नी श्रीमती ज्योति निकम द्वारा प्रदत्त राशि रु. 5000/- से प्राप्त ब्याज से बी.एस.-सी. प्रथम वर्ष (2 सेमे.) की परीक्षा में जीव विज्ञान तथा गणित समूह में संयुक्त रूप से सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को पुरस्कृत किया जायेगा।

19. स्व. श्री आर.एन. चतुर्वेदी स्मृति पुरस्कार- महाविद्यालय के भौतिकी विभाग के प्राध्यापक प्रो. के.एन. चतुर्वेदी द्वारा अपने पिता श्री रघुनन्दन चतुर्वेदी (सेवानिवृत्त प्राचार्य) की स्मृति में यह पुरस्कार प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत जमा करायाई गई निधि रुपये 7001/- से प्राप्त ब्याज इस महाविद्यालय के बी.एस.-सी. उत्तीर्ण एवं कुल प्रामाणिकों में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले उस विद्यार्थी को दिया जायेगा जिसने इसी महाविद्यालय में एम.एस.-सी. भौतिकी की प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लिया है।

20. स्व. मोतीलाल जैन स्मृति पुरस्कार- महाविद्यालय के भौतिकी विभाग के सेवानिवृत्त प्राध्यापक प्रो. के.के. जैन द्वारा अपने स्व. पिता श्री मोतीलाल जैन की स्मृति में यह पुरस्कार प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत जमा करायाई गयी निधि रु. 10,000/- से प्राप्त ब्याज से दो पुरस्कार निम्नानुसार प्रदान किये जायेंगे।

(अ) बी.एस.-सी. (5 एवं 6 सेमे.) के इलेक्ट्रॉनिक्स, भौतिकी, गणित समूह के उस विद्यार्थी को जिसने बी.एस.-सी. III से IV सेमे. में इस समूह में सर्वाधिक अंक प्राप्त किये हों।

(ब) वार्षिकोत्सव के अवसर पर गायन-विधा में प्रथम पोषित विद्यार्थी को।

21. स्व. सुमन मातण्ड विवेकर स्मृति पुरस्कार- यह पुरस्कार श्री सुनील विवेकर द्वारा अपनी माताजी की स्मृति में प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत जमा करायाई गयी निधि रु. 5000/- से प्राप्त ब्याज से वैदिकी समूह में वनस्पति शास्त्र विषय के साक्ष बी.एस.-सी. की 6 सेमे. की परीक्षा में संयुक्त रूप से सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्रा को पुरस्कृत किया जायेगा।

22. स्व. डॉ. पी. के. पटवर्धन स्मृति पुरस्कार- महाविद्यालय के पूर्व विद्यार्थी स्व. डॉ. पी. के. पटवर्धन की स्मृति में उनके पुत्र डॉ. अजय पटवर्धन द्वारा दी गयी रु. 20,000/- की राशि से प्राप्त ब्याज से यह पुरस्कार एम.एस.-सी. पूर्वाई और उत्तरार्ध के एक-एक छात्र को उसकी प्रायोगिक कार्यों में असामान्य रुचि और निपुणता के लिये दिया जायेगा। छात्रों का चयन एक समिति द्वारा किया जायेगा जिसके अध्यक्ष महाविद्यालय के प्राचार्य होंगे और विभागाध्यक्ष भौतिकी उस

समिति के सचिव-सदस्य होंगे।

23. प्रो. आर.जी. निधोजकर पुरस्कार- अपने दिवंगत पिता श्री गोविंदराव गणेश निधोजकर की स्मृति में महाविद्यालय के भौतिकी के पूर्व प्राध्यापक प्रो. आर.जी. निधोजकर द्वारा प्रदत्त 25,000/- की राशि से प्राप्त ब्याज से एम.एस.-सी. (पूर्वाई) भौतिकी में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर, उत्तरार्ध भौतिकी में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी को पुरस्कृत किया जायेगा।

24. प्रो. एस.डी. चौबे स्मृति पुरस्कार - उक्त पुरस्कार भौतिकी अध्यापन के स्वर्ण ज्वंती समारोह पर सहभागियों (भौतिकी विभाग) से एकत्रित राशि रु. 31100/-, जो कि महाविद्यालय में जमा की गई है, के ब्याज से एम.एस.-सी. भौतिकी के प्रथम सेमेस्टर एवं द्वितीय सेमेस्टर के अंकों का योगकर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को देय होगा।

25. डॉ. के.के. चतुर्वेदी स्मृति पुरस्कार - उक्त पुरस्कार डॉ. के.के. चतुर्वेदी, प्राध्यापक रसायन शास्त्र की स्मृति में उनकी पत्नी डॉ. श्रीमती मंजुषा चतुर्वेदी द्वारा होलकर विज्ञान महाविद्यालय के उस विद्यार्थी को प्रदान किया जाता है जिसने एम.एस.-सी. पूर्वाई रसायन शास्त्र में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर इसी महाविद्यालय में एम.एस.-सी. उत्तरार्ध में प्रवेश लिया है। (1,00,000/- रु. की राशि का ब्याज)

26. पं. श्रीकृष्णजी व्यास स्मृति पुरस्कार- प्रो. (डॉ.) संजय व्यास द्वारा यह पुरस्कार अपने दादाजी पं. श्रीकृष्णजी व्यास की स्मृति में उस विद्यार्थी को प्रदान किया जाता है जिसने इस महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव में संगीत की एकल गायन विधा में प्रथम स्थान प्राप्त किया हो।

27. डी.टी.ए. मुले पुरस्कार -

1. बी.एस.सी. के सभी सेमेस्टर्स के प्राप्तांकों के योग में जिस विद्यार्थी को भौतिक शास्त्र विषय में अधिकतम अंक प्राप्त होते हैं उसे 25000/- रु. के ब्याज से प्राप्त राशि का 60% एवं भौतिक विषय में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को उक्त राशि की 40% राशि पुरस्कार के रूप में देय होगा।

2. एम.एस.-सी. गणित में प्रथम वर्ष (प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर) में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 25000/- रु. के ब्याज की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जावेगी।

28. स्व. समीर चिटनीस स्मृति पुरस्कार -

अपने ब्रह्मलौक अभिन मित्र श्री समीर चिटनीस की स्मृति में महाविद्यालय के जनभागीदारी समिति के सदस्य डॉ. शारिक मोहम्मद शेख द्वारा प्रदत्त 20,000 रु. की राशि से प्राप्त ब्याज से बी.एस.-सी. अंतिम वर्ष (बैथोलॉजी) में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को पुरस्कृत किया जायेगा।

(32) वाहन स्टैंड संबंधी सूचना एवं नियम -

शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय परिसर में वाहन स्टैंड की व्यवस्था है। इसका उद्देश्य वाहन मालिकों को सुरक्षित स्थान उपलब्ध

कराना है। यह व्यवस्था महाविद्यालयीन प्राध्यापकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों के लिए तो है ही, बाहर से आने वाले व्यक्तियों के लिये भी है। वाहन का पार्किंग निर्धारित स्थान पर ही करें तथा महाविद्यालय प्रशासन को सहयोग प्रदान करें।

1. विद्यार्थियों शिक्षकों तथा आगन्तुकों को अपने वाहन स्टैण्ड पर रखना अनिवार्य है। निर्धारित स्थान के अतिरिक्त किसी भी स्थान पर रखने पर जुर्माना देय होगा।
2. स्टैण्ड परिसर में वे ही प्रवेश पा सकेंगे जिनका वाहन वहाँ रखा है।
3. स्टैण्ड परिसर में फालतू न बैटें, अनुशासन बनाये रखें।
4. वाहन स्टैण्ड के सूचना पटल पर लिखे निर्देशों का पालन अवश्य करें।

5. स्टैण्ड संबंधी किसी भी प्रकार की शिकायत के लिये सीधे प्राचार्य से सम्पर्क करें।
6. महाविद्यालय के विद्यार्थी अपने साथ बाहर के व्यक्ति न लावें अन्यथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।
7. अपना वाहन कक्षा में पढ़ाई के समय तक ही पार्क करें, उसके बाद आवश्यक रूप से उसे लेकर जाएँ।
8. वाहन संबंधी टोकन संभाल कर रखें, टोकन खो जाने पर शुल्क देना होगा तथा नये टोकन के लिये प्राचार्य की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगी।
9. अपना पहचान पत्र हमेशा अपने पास रखें। स्टैण्ड व्यवस्थापक द्वारा माँगने पर पहचान पत्र को अवश्य दिखाये तथा आवश्यकता होने पर जमा भी करावें।

शासीनिकाय

जनभागीदारी समिति

नाम	पद	नाम	पद
प्रो. एस.एन. गुप्ता	अध्यक्ष	श्री प्रीतिपालसिंह मौगा	अध्यक्ष
श्री रमिन्दरसिंह चट्टा	सदस्य	डॉ. एस.एल. गर्ग	सचिव
प्रो. श्रीमती शीला रामचन्द्रन	सदस्य	श्री प्रदीप कौशल	सदस्य
डॉ. एन.के. धाकड़	सदस्य	श्री संजय जारोलिया	सदस्य
डॉ. दिनेश वाष्णैय	सदस्य	श्री शारिख शेख	सदस्य
डॉ. एस.एल. गर्ग	सदस्य	डॉ. साकेत जती	सदस्य
डॉ. सुपमा कुर्डे	सदस्य	डॉ. अशोक खण्डेलवाल	सदस्य
डॉ. अशोक सिलावट	सदस्य	श्रीमती स्मिती डाबर	सदस्य
डॉ. व्ही.एन. गाडगिल	सदस्य	प्रो. पी.एस. मुन्डा	सदस्य

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

लोक सूचना अधिकारी : डॉ. एस.एल. गर्ग (प्राचार्य), सहायक लोक सूचना अधिकारी : डॉ. प्रदीप शर्मा

महाविद्यालय के विद्यार्थियों से आशा की जाती है कि वे पूर्ण शक्ति एवं निष्ठा से अध्ययन-रत रहेंगे तथा ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे उनको, उनके माता-पिता को, महाविद्यालय को, राज्य को एवं राष्ट्र को अपमानित होना पड़े। उनका हर कृत्य ऐसा होना चाहिए जिस पर महाविद्यालय गर्व कर सके।

राष्ट्रीय पर्वों जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस तथा पाठ्य सहागामी गतिविधियों में विद्यार्थी सक्रिय सहभागिता दें, इससे उनके व्यक्तित्व विकास को नई दिशा मिलेगी।

महाविद्यालयीन समितियों के प्रभारी निम्नानुसार मनोनीत किये गये

प्रवेश समिति	प्रो. प्रदीप शर्मा
ए.एफ. आबंटन समिति	प्रो. आर.एस. माहेश्वरी
एन्टीरिंग समिति एवं अनुशासन समिति	प्रो. आर.के. वेद, डा. संजय व्यास,
	प्रो. अनीस सिद्दीकी, प्रो. संजिदा इकबाल
छात्रावास समिति	प्रो. व्ही.व्ही.एस. मुर्ति, प्रो. एच.एस. डागर
साहित्यिक समिति	प्रो. एस. विवेकर, प्रो. किसलय पंचोली
महाविद्यालयीन पत्रिका (Spectrum) समिति	प्रो. संध्या खरे
जनरल टाईम टेबल	प्रो. एम.एम.पी. श्रीवास्तव
प्रोक्टोरियल बोर्ड	प्रो. सी.शर्मा, प्रो. लक्ष्मी तनुवाय
अपलेखन समिति	प्रो. आर.के. संधवी
परीक्षा एवं पाठ्यक्रम प्रकाशन समिति	प्रो. एस. कुर्डे
विवरणिका एवं सिटीजन चार्टर प्रकाशन समिति	प्रो. संजीदा इकबाल
शोध पत्रिका/वैज्ञानिक संगोष्ठी/नवीन पाठ्यक्रम	प्रो. अनुपम जैन
जल एवं टंकी सफाई	प्रो. राम प्रजापति
विद्युत प्रभारी	प्रो. एन.पी. राजपूत
फर्नीचर	प्रो. मंगला दवे
शिकायत एवं सुझाव समिति	प्रो. एस.कुर्डे, प्रो. सुधा दुबे
शुल्क मुक्ति, छात्रवृत्ति, निर्धन छात्र सहायता समिति	प्रो. ए.सिलावट
उच्च तकनीकी शुल्क मुक्ति समिति	प्रो. भूषण अग्रवाल
छात्र संघ एवं स्नेह सम्मेलन	प्रो. रूपलेखा व्यास
युवा महोत्सव एवं अन्तर्महाविद्यालयीन सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति	प्रो. एम. चौरागड़े
महिला/छात्रा सशक्तीकरण समिति	प्रो. मधु तिवारी
शिकायत प्रकोष्ठ अज्ञा. व अज्ञा.	प्रो. ए. बाथम
(IQAC)	प्रो. ए. पोरस, प्रो. आर. अग्रवाल
महिला प्रसाधन कक्ष व्यवस्था समिति	प्रो. इन्दु तिवारी
स्वामी विवेकानंद मार्गदर्शन/प्लेसमेंट समिति	प्रो. संजय व्यास, प्रो. एस. चौर
सांस्कृतिक समिति	प्रो. ए. खेर, प्रो. एस. तनवानी
पर्यावरण जागरूकता समिति	प्रो. किशोर पंवार
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रकोष्ठ	प्रो. वी.एन. गाडगिल